

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 1] नई दिल्ली, दिसम्बर 28, 2014—जनवरी 3, 2015, शनिवार/पौष 7—पौष 13, 1936  
No. 1] NEW DELHI, DECEMBER 28, 2014—JANUARY 3, 2015, SATURDAY/PAUSA 7—PAUSA 13, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2014

का.नि.आ. 01.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज, पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी-1) भर्ती नियम, 1977 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन मिलिटरी इंजीनियरी महाविद्यालय, पूणे में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (समूह 'ख' पद) मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज, पूणे में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

**Note 1:** For the purpose of these rules, the Director General Ordnance Factories and Chairman, Ordnance Factory Board may authorise any member of the Board or an Additional Director General, Ordnance Factories, to exercise all or any of the powers on its behalf and it shall be deemed to have been exercised by the said Board.

**Note 2:** The incumbents in the posts mentioned in the Schedule are normally liable for service in the same factory or office in the Ordnance Factories Organisation. But this will be, without prejudice to the right of the management, in the public interest, to transfer them to equivalent posts in any other factory or office in the Ordnance Factories organization.

**Note 3:** Within the total number of posts in the same Pay Band and Grade Pay/Pay Scale, addition to and reduction of posts under different designations and names on any Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale may be made by Ordnance Factory Board from time to time on the basis of changes in work load and functional requirements.

**Note 4:** The mode of conducting trade tests shall be prescribed by the General Manager of the factory or Ordnance Factory Board. The tests may include written, practical examination, aptitude tests etc.

**Note 5:** The term "Limited Departmental Competitive Examination" is only a method of Fast Track Promotion. Thus appointment through Limited Departmental Competitive Examination shall be treated as fast track Promotion for all purposes.

**Note 6 :** The term "General Manager of the factory" and its variations shall include Senior General Manager, Additional General Manager and Heads of other establishments declared by Ordnance Factory Board to be equivalent to General Manager of factory

**Note 7 :** In relation to prescribed qualification, the question whether a qualification is equivalent to the prescribed qualification for any post shall be decided by the Ordnance Factory Board.

**Note 8 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F.No. 41(4)/2010/D(Fy-II)]

AMLAN DAS, Under Secy.

( रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग )

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2014

का.नि.आ. 05.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' और समूह 'घ' (अग्निशमन सेवा) पद भर्ती नियम, 1998, जहाँ तक कि उसका संबंध अग्निशमन अधीक्षक के पद से और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, अग्निशमन सेवा काडर (समूह 'ख') पद भर्ती नियम, 2004 से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रांत से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, में अग्निशमन सेवा काडर (समूह 'ख') पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, अग्निशमन सेवा काडर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उससे संबद्ध वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद हैं अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी	02* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4800 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(7)			(8)	(9)
	लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता				प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
	(10)			(11)	
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा				प्रोन्नति : वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु.+ और ग्रेड वेतन 4600 में के ऐसे उप-प्रभागीय अग्नि अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो। जिन्होंने, अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए	

(11)

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो (प्रशिक्षण की अवधि एवं प्रकृति का निर्धारण, अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय तिमारपुर, दिल्ली द्वारा किया जाएगा)।

**टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या वह तारीख से जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा, सिवाय उस दशा के, उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय है, और वहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान एवं विकास, रक्षा अनुसंधान, और विकास संगठन —अध्यक्ष
2. निदेशक, रक्षा अनुसंधान, और विकास संगठन —सदस्य
3. अवर सचिव, रक्षा ( अनुसंधान एवं विकास ) रक्षा मंत्रालय अथवा एकीकृत वित्त ( ए.एफ.ए/अनु एवं वि. ) रक्षा मंत्रालय —सदस्य

प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी	05* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	ब्रेतन बैंड-2, 9300— 34800 रु. ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होगा
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
	(10)		(11)		

69% प्रोन्नति द्वारा और 40% प्रतिनियुक्ति द्वारा

**प्रोन्नति :-** ब्रेतन बैंड 2, 9300-34,800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 में के ऐसे सहायक प्रभागीय अग्नि शमन अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। जिन्होंने, अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो (प्रशिक्षण की अवधि और प्रकृति का निर्धारण, अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, तिमारपुर, दिल्ली द्वारा किया जाएगा)।

**टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहला या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति :**

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का अधिकारी:-

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(11)

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु. + और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :-

(i) नेशनल कॉलेज ऑफ फायर सर्विस, नागपुर या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से अग्नि इंजिनियरी में डिप्लोमा किया हो।

(ii) केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में अग्नि शमन कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

**टिप्पण-1:** पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसको छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान एवं विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —अध्यक्ष
2. निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य
3. अवर सचिव, रक्षा (अनुसंधान एवं विकास) विभाग, रक्षा मंत्रालय अथवा एकीकृत वित्त (ए.एफ.ए/अनु. एवं वि.) रक्षा मंत्रालय —सदस्य

(13)

प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी	07* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिबीय	वेतन बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
------	------

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति : वेतन बैंड 1. 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2800 रु. में के स्टेशन अधिकारी जिन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो। और नेशनल कॉलेज अग्निशमन सेवा, नागपुर से अग्नि इंजिनियरी में डिप्लोमा किया हो या अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संचालित विमान दुर्घटना बचाव और अग्निशमन में साधारण पाठ्यक्रम किया हो, या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित अग्नि इंजिनियरी या स्टेशन अधिकारी या अनुदेशक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा किया हो।

टिप्पण 1: सहायक प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सेवा उन व्यक्तियों के लिए पांच वर्ष की बनी रहेगी जो इन नियमों के अधिसूचित होने के तारीख से नियमित आधार पर तत्कालीन अग्निशमन मास्टर के पोषक पदों को धारण किए हुए हैं।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान एवं विकास, रक्षा अनुसंधान, और विकास संगठन —अध्यक्ष
2. निदेशक, रक्षा अनुसंधान, और विकास संगठन —सदस्य
3. अवर सचिव, रक्षा ( अनुसंधान एवं विकास ), रक्षा मंत्रालय अथवा एकीकृत वित्त( ए.एफ.ए/अनु. एवं वि.) रक्षा मंत्रालय —सदस्य

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[ फा. सं. डी एच आर डी/76257/आर आर/एफओ/सी/पी/01/3031/डी(आर एंड डी) ]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 2nd December, 2014

**S.R.O. 05.**—In exercise of the power's conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' and Group 'D' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 1998, insofar as it relates to the post of Fire Superintendent and the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Fire Service Cadre (Group 'B') posts Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Fire Service Cadre (Group 'B') posts in the Defence Research and Development Organisation under the Ministry of Defence, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Fire Service Cadre (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.** -These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** - The number of posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**5. Disqualifications. - No person,**

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.



## SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Chief Fire Officer	02* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4800	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Not applicable
Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by the various methods			In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made		
(10)			(11)		
By promotion failing which by deputation			<p><b>Promotion :</b> Deputy Divisional Fire Officer in the Pay Band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department, who have successfully completed training imparted by Centre For Fire Explosives and Environment Safety, Defence Research Development Organisation, Ministry. of Defence. (The duration and nature of training shall be determined by the Centre For Fire Explosives and Environment Safety, Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence Timarpur, Delhi).</p> <p><b>Note1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>		

(11)

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

**Deputation:**

(a) Officers of the Central or State Government or Union territories:

(i) holding analogous post in the parent cadre or department; or

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualification and experience:

(i) a diploma in fire engineering from National College of Fire Services, Nagpur or any other Institute recognised by Government.

(ii) three years experience in fire fighting work of Central Govt Fire Service Organisation.

**Note 1:** The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 4:** For purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—</b></p> <p>1. Chief Controller, Research and Development, Defence Research and Development, Organisation —Chairman</p> <p>2. A Director of Defence Research and Development, Organisation —Member</p> <p>3. Under Secretary, D(R&amp;D), Ministry of Defence or Integrated Finance (AFA/(R&amp;D), Ministry of Defence —Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Divisional Fire Officer	05* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)			
Not applicable	Not applicable	Not applicable			

(10)	(11)
60% by promotion and 40% by deputation	<p><b>Promotion :</b> Assistant Divisional Fire Officer in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or department who have successfully completed training imparted by Centre for Fire Explosives and Environment Safety, Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence. (The duration and nature of training shall be determined by the Centre For Fire Explosives and Environment Safety, Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence, Timarpur, Delhi).</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(11)

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

**Deputation :**

Officers of the Central or State Government or Union territories:

(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;

or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department;

(b) possessing the following educational qualification and experience:

(i) possessing a diploma in fire engineering from National College of Fire Services, Nagpur or any other Institute recognised by Government;

(ii) two years working experience in fire fighting work from Central or State Government or Union territories.

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 4:** For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee</b> <b>(for considering promotion) consisting of :—</b> 1. Chief Controller, Research and Development, Defence Research and Development Organisation —Chairman 2. Director of Defence Research and Development Organisation —Member 3. Under Secretary (D/R&D), Ministry of Defence or Integrated Finance (AFA/R&D), Ministry of Defence —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Divisional Fire Officer	07* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B'. Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300— 34800 plus Grade Pay - Rs. 4200	Selection	Not applicable
(7)	(8)		(9)		
Not applicable	Not applicable		Two years		

(10)	(11)
By promotion	<p><b>Promotion :</b> Station Officer in the pay band-1, Rs. 5200 - 20200 with grade pay of Rs. 2800 with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Defence Research and Development Organisation and possessing a Diploma in Fire Engineering from National College of Fire Services Nagpur or general course in Air Crash Rescue and Fire Fighting conducted by Centre for Fire Explosives and Environment Safety, Defence Research Development Organisation, or diploma in Fire Engineering or Station Officer and Instructor's course conducted by Ministry of Home Affairs.</p> <p><b>Note 1:</b> The eligibility service for promotion to the post of Assistant Divisional Fire Officer shall continue to be five years for persons holding the erstwhile feeder posts of Fire Master on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully</p>

(11)

completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 3:** For the purpose of counting minimum qualifying service for promotion, service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee  
(for considering promotion) consisting of :—

Consultation with Union Public Service  
Commission not necessary.

1. Chief Controller, Research and Development,  
Defence Research and Development Organisation —Chairman
2. Director of Defence Research and Development,  
Organisation —Member
3. Under Secretary (D/R&D), Ministry of Defence  
or Integrated Finance (AFA/R&D), Ministry  
of Defence —Member

[FNs. DHRD/76257/RR&F/O/CP/01/3031/D(R&D)]

S.D. BHASOR, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 24 ] नई दिल्ली, नवम्बर 16—नवम्बर 22, 2014, शनिवार/कार्तिक 25—अग्रहायण 1, 1936  
No. 24] NEW DELHI, NOVEMBER 16—NOVEMBER 22, 2014, SATURDAY/KARTIKA 25—AGRAHAYANA 1, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2014

का.नि.आ. 70.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती (दूसरा संशोधन), नियम, 2014 होगा।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. डी एच आर डी/76237/डीआरटीसी/आर आर/पी/एम/03]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 में का. नि. आ. 296 तारीख 5 दिसम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का. नि. आ. 50, तारीख 12 फरवरी, 2002 का. नि. आ. 147, तारीख 26 जून, 2002 का. नि. आ. 33, तारीख 29 फरवरी, 2008 और अंतिम संशोधन का. नि. आ. 13, तारीख 20 जनवरी, 2014 द्वारा किए गए।

## MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 31st October, 2014

**S. R. O. 70** .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules, in 2000 namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment (Second Amendment) Rules, 2014.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazetted.
2. In the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules, 2000 in Foot Note, in Note 4, for the words and letter "Technical Assistant 'A'", the words and letter "Technical Officer 'A'", shall be substituted.

[F. No. DHRD/76237/DRTC/RR/P/M/03]

S. D. BHASOR, Under Secy.

**Note** :—The Principal rules were published in the Gazette of India part II, Section 4, vide S.R.O. 296 dated the 5th December, 2000 and subsequently amended vide S.R.O. 50, dated 12th February, 2002, S.R.O. 147, dated 26th June, 2002, S.R.O. 33 dated 29th February, 2008 and last amended vide S.R.O. 13, dated the 20th January, 2014

(Department of Defence Production)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th November, 2014

**S.R.O. 71**.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following corrigendum to the Defence Quality Assurance Service Rules, 2014 published vide SRO-1 dated 20.1.2014 in Part II, Section-4 of the Gazette of India dated Jan 26—Feb 1, 2014.

## 2. SRO No. 1

In Schedule-1, Sl. No. 3, Col 5

**FOR**:- (a) Officer of the Junior Administrative Grade who have entered the 14th year of service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the member was appointed or recruited to Group 'A' posts;

**READ**:-(a) Officer of the Junior Administrative Grade who have entered the 14th year of service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the member was appointed or recruited to Group 'A' posts;

(b) Officers of the Junior Administrative Grade who have entered service direct in Senior Time Scale Group 'A' with nine year' combined regular service in Senior Time Scale and Junior Administrative Grade.

In Schedule-1, Sl. No. 6, Col 4

**FOR**:- (c) 50% by promotion on the basis of selection

(d) 50% by direct recruitment through the Union Public Service Commission

**READ**:-(a) 50% by promotion on the basis of selection

(b) 50% by direct recruitment through the Union Public Service Commission

[F. No. A/93103/2255/D(QA)DGQA/Adm-6B]

KIRAN MALA KUJUR, Under Secy.





# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, फरवरी 16—फरवरी 22, 2014, शनिवार/माघ 27—फाल्गुन 3, 1935  
No. 3] NEW DELHI, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2014, SATURDAY/MAGHA 27—PHALGUNA 3, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2014

का.नि.आ. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय (वर्ग 4 औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1974 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद (अभिलेखपाल, दफ्तरी, चपरासी, चौकीदार, लशकर और सफाईवाला) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

( रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन )

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

का.नि.आ. 13.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 में -

(क) अनुसूची-1 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

“अनुसूची I”

[नियम 3 के उपनियम (1) और (4) देखें]

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर

प्रवर्ग, ग्रेड, वेतनमान और समूह वर्गीकरण

ग्रेड	पदनाम	पदों की संख्या*	वेतनमान (रु.)	वर्गीकरण : रक्षा सेवा में सिविलियन
<b>प्रवर्ग-‘क’</b>				
1.	तकनीशियन ‘क’		वेतन बैंड-1/1900	समूह ‘ग’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय
2.	तकनीशियन ‘ख’		वेतन बैंड-1/2400	समूह ‘ग’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय
3.	तकनीशियन ‘ग’		वेतन बैंड-1/2800	समूह ‘ग’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	तकनीकी सहायक ‘ख’		वेतन बैंड-2/4200	समूह ‘ख’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय
5.	तकनीकी अधिकारी		वेतन बैंड-2/4600	समूह ‘ख’ राजपत्रित, अननुसचिवीय
6.	उप कुल प्रवर्ग ‘क’	5541		
<b>प्रवर्ग-‘ख’</b>				
1.	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक ‘ख’		वेतन बैंड-2/4200	समूह ‘ख’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय
2.	तकनीकी अधिकारी ‘क’		वेतन बैंड-2/4600	समूह ‘ख’ राजपत्रित, अननुसचिवीय
3.	तकनीकी अधिकारी ‘ख’		वेतन बैंड-3/5400	समूह ‘क’ राजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	तकनीकी अधिकारी ‘ग’		वेतन बैंड-3/6600	समूह ‘क’ राजपत्रित, अननुसचिवीय
5.	तकनीकी अधिकारी ‘घ’		वेतन बैंड-3/7600	समूह ‘क’ राजपत्रित, अननुसचिवीय
6.	उप कुल प्रवर्ग ‘ख’	8303		

\* परिवर्तन हो सकता

(ख) अनुसूची 3, के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

## “अनुसूची 3”

[नियम 6 का उप-नियम (3) देखें]

क्र. सं.	वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति हुई है	वह ग्रेड जिसमें प्रोन्नति हुई है	ऐसे पात्र कर्मचारियों की प्रतिशतता जिनको वार्षिक मूल्यांकन में अगले ग्रेड में प्रोन्नत किया जा सकता है	रेजिडेंसी अवधि
1.	तकनीशियन 'क'	तकनीशियन 'ख'	70%	5 वर्ष
2.	तकनीशियन 'ख'	तकनीशियन 'ग'	60%	5 वर्ष
3.	तकनीशियन 'ग'	तकनीशियन सहायक 'ख'	50%	5 वर्ष
4.	तकनीकी सहायक 'ख'	तकनीकी अधिकारी	45%	5 वर्ष *
5.	तकनीकी सहायक	तकनीकी अधिकारी 'ख'	35%	5 वर्ष #
6.	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ख'	तकनीकी अधिकारी 'क'	60%	5 वर्ष \$
7.	तकनीकी अधिकारी 'क'	तकनीकी अधिकारी 'ख'	35%	5 वर्ष !!
8.	तकनीकी अधिकारी 'ख'	तकनीकी अधिकारी 'ग'	30%	5 वर्ष
9.	तकनीकी अधिकारी 'ग'	तकनीकी अधिकारी 'घ'	20% @	6 वर्ष
10.	तकनीकी अधिकारी 'घ'			

## पाद टिप्पण :-

\* टिप्पण 1 : ऐसे तत्कालीन तकनीकी सहायक 'क', जिनका उन्नयन हुआ है और तकनीकी सहायक 'ख' के साथ विलयन हुआ है, के संबंध में रेजिडेंसी अवधि की गणना 1-1-2006 से की जाएगी।

# टिप्पण 2 : ऐसे तत्कालीन तकनीकी सहायक 'ग', जिनका उन्नयन हुआ है और तकनीकी अधिकारी के साथ विलयन हुआ है, के संबंध में रेजिडेंसी अवधि की गणना 1-1-2006 से की जाएगी।

\$ टिप्पण 3 : ऐसे तत्कालीन ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'क', जिनका उन्नयन हुआ है और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ख' के साथ विलयन हुआ है, के संबंध में रेजिडेंसी अवधि की गणना 1-1-2006 से अथवा ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'क' के रूप में नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से की जाएगी।

!! टिप्पण 4 : ऐसे तत्कालीन ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ग', जिनका उन्नयन हुआ है और तकनीकी अधिकारी 'क' के साथ विलयन हुआ है, के संबंध में रेजिडेंसी अवधि की गणना 1-1-2006 से की जाएगी।

@ ऐसे तकनीकी अधिकारी 'घ' की काडर संख्या किसी भी समय बिन्दु पर तकनीकी अधिकारी 'ग' की काडर संख्या के बीस प्रतिशत तक सीमित होगी।

[फा. सं. डीएचआरडी/76237/डीआरटीसी/आरआर/पी/एम/03]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. 296, तारीख 5 दिसंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित और प्रकाशित किए गए थे और उनमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया था -

1. का.नि.आ. 50, तारीख 12-2-2002
2. का.नि.आ. 147, तारीख 28-6-2002
3. का.नि.आ. 33, तारीख 29-2-2008

(b) For Schedule III, the following schedule shall be substituted namely :—

**SCHEDULE III**

[See Sub-rule (3) of rule 6]

Sl. No.	Promotion from grade	Promotion to grade	Percentage of eligible employees who could be promoted to the next grade in annual assessment	Residency period
1.	Technician 'A'	Technician 'B'	* 70%	5 years
2.	Technician 'B'	Technician 'C'	60%	5 years
3.	Technician 'C'	Technical Assistant 'B'	50%	5 years
4.	Technical Assistant 'B'	Technical Officer	45%	5 years *
5.	Technical Officer	Technical Officer 'B'	35%	5 years #
6.	Sr. Technical Assistant 'B'	Technical Officer 'A'	60%	5 years \$
7.	Technical Officer 'A'	Technical Officer 'B'	35%	5 years !!
8.	Technical Officer 'B'	Technical Officer 'C'	30%	5 years
9.	Technical Officer 'C'	Technical Officer 'D'	20% @	6 years
10.	Technical Officer 'D'			

**Foot Note :—**

\* Note 1 : In respect of erstwhile Technical Assistants 'A' who have been upgraded and merged with Technical Assistant 'B', the residency period will count from 1-1-2006.

# Note 2 : In respect of erstwhile Technical Assistants 'C' who have been upgraded and merged with Technical Officer, the residency period will count from 1-1-2006.

\$ Note 3 : In respect of erstwhile Sr. Technical Assistants 'A' who have been upgraded and merged with Sr. Technical Assistant 'B', the residency period will count from 1-1-2006 or date of appointment as Sr. Technical Assistant 'A' whichever is later.

!! Note 4 : In respect of erstwhile Sr. Technical Assistants 'C' who have been upgraded and merged with Technical Assistant 'A', the residency period will count from 1-1-2006.

@ The Cadre strength of Technical Officer 'D' at any point of time be limited to twenty per cent of the cadre strength of "Technical Officer 'C'."

[F.No. DHRD/76237/DRIC/RR/P/M/03]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Note : The Principal rules were notified published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide S.R.O. 296, dated 5th December, 2000 and amended vide notification numbers —

1. S.R.O. 50, dated 12-2-2002
2. S.R.O. 147, dated 28-6-2002
3. S.R.O. 33, dated 29-2-2008



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 22 ] नई दिल्ली, अक्टूबर 26—नवम्बर 1, 2014, शनिवार/कार्तिक 4—कार्तिक 10, 1936  
No. 22] NEW DELHI, OCTOBER 26—NOVEMBER 1, 2014, SATURDAY/KARTIKA 4—KARTIKA 10, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय  
(रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2014

का.नि.आ. 64.— भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 तारीख 22 अक्टूबर में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग की अधिसूचना का.नि.आ. 97 तारीख 10 नवम्बर, 2012 में पृष्ठ 560 पर पंक्ति 4 में "राजपत्रित" के स्थान पर "अराजपत्रित" पढ़ा जाए।

[सं. डी.एच.आर.डी. /16342/भ. नि./प्रशासनिक संवर्ग/सी/पी/02/2198/रक्षा (अनु. एवं वि.)/14]  
एस. डी. भसोर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th September, 2014

S. R. O. 64.— In the notification of the Government of India, Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development dated the 22nd October, 2012 published in the Gazette of India, Part II, Section 4, *vide* S. R. O. 97, dated the 10th November, 2012 page 568, in line 39, for "Gazetted" read "Non Gazetted".

[No. DHRD/16432/RRs/Admin Cadre/C/P/02/2198/D(R&D)/14]

S. D. BHASOR, Under Secy.

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2014

का.नि.आ. 65.— भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 तारीख 18 अक्टूबर में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग की अधिसूचना का.नि.आ. 94 तारीख 10 नवम्बर, 2012 में पृष्ठ 542 पर, पंक्ति 37 में "राजपत्रित" के स्थान पर, "अराजपत्रित" पढ़ा जाए।

[सं. डी.एच.आर.डी. /16342/भ. नि./भंडार संवर्ग/सी/पी/03/2199/रक्षा (अनु. एवं वि.)/14]  
एस. डी. भसोर, अवर सचिव

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th September, 2014

S. R. O. 65.— In the notification of the Government of India, Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development dated the 18th October, published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide S. R. O. 94, dated the 10th November, 2012 at page 542, in line 37, for "Gazetted" read "Non Gazetted".

[No. DHRD/16432/RRs/Store Cadre/C/P/03/2199/D(R&D)/14]  
S. D. BHASOR, Under Secy.

( वित्त प्रभाग )

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2014

का.नि.आ. 66.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (प्रधान निजी सचिव) संशोधन भर्ती नियम, 2014 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा लेखा विभाग (प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2009 में—  
(क) नियम 2 में "वेतनमान" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे ;  
(ख) अनुसूची में -  
(i) स्तंभ (4) में "वेतनमान" शीर्ष और उसके अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

---

"वेतनमान बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान"

---

(4)

---

वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. धन ग्रेड वेतन 6600 रु.

---

(ii) स्तंभ (12) में वेतन ग्रेड में "7,500-12000 रुपए कृपया के वेतनमान" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रु. धन वेतन 4,800 रु." अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9(3)/सी/2007]

देविका रघुवंशी, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 में अधिसूचना सं. का. नि. आ. 17 तारीख 1 अगस्त, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## (FINANCE DIVISION)

New Delh, the 21st October, 2014

**S.R.O. 66.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2009, namely:-

1. (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Principal Private Secretary) Amendment Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Accounts Department (Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2009, --

(a) in rule 2, for the words "scale of pay" at both the places, where they occur, the words "pay band and grade pay or pay scale" shall be substituted;

(b) in the Schedule-

(i) in column (4), for the heading "Scale of Pay" and the existing entries there under, the following shall be substituted, namely-

"Pay band and  
grade pay or  
pay scale"

(4)

"Pay Band-3 of  
Rs.15600-39100  
plus grade pay  
Rs.6600"

(ii) in column (12), for the words, letters and figures "pay scale of Rs.7,500- 12, 000" the words and figures "Pay band-2 of Rs. 9,300-34,800 plus grade pay Rs. 4,800" shall be substituted.

[F. No. 9(3)/C/2007]

DEVIKA RAGHUVANSHI, Jt. Secy. & Addl. FA

**Foot Note.** -The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number S. R. O. 17, dated the 1st August, 2009 Part-II, Section 4.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

**का.नि.आ. 67.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक पद 'ख') भर्ती नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्;

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक पद 'ख') भर्ती संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम 2011, की अनुसूची के स्तंभ (10) की मद (ii) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

"25% प्रोन्नति द्वारा वेतन बैंड 1 में 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे प्रशासनिक सहायक 'क' हों उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है, में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जिसके न हो सकने पर ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा "

[फा. सं. डी.एच.आर.डी. /76257/आर आर/प्रशासनिक सहायक 'ख'/सी/पी/04]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का. नि. आ. 59 तारीख 13 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् भर्ती नियम का.नि.आ. 65 तारीख 19 अक्टूबर 2013 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**(Department of Defence Research and Development)**

New Delhi, the 23rd September, 2014

**S.R.O. 67.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant '13' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011, in column (10), for the existing entry at item (ii), the following entry shall be substituted, namely:—

“25% by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from Administrative Assistant 'A' in the Pay Band-1, Rs 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900/- with five years regular service in the grade, failing which by promotion on the basis of seniority”.

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin Asst/B'/C/P/04]

S. D. BHASOR, Under Secy.

**Note:**—The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4 vide number S.R.O. 59, dated the 13th August, 2011 and subsequently amended vide number S.R.O. 65, dated the 19th October, 2013.

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2014

का.नि.आ. 68.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारीवृन्द के अधीन स्थापनाओं में (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2014 है।
- (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग') पद भर्ती नियम 2012, की अनुसूची के स्तंभ (12) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रत्येक पद के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी अर्थात्:—

(i)	ब्रिगेडियर या समकक्ष	अध्यक्ष
(ii)	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष	सदस्य
(iii)	मेजर या कैप्टन या समकक्ष	सदस्य

टिप्पण: क्रम संख्या (i) और (ii) पर विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य उसी संगठन से नहीं होंगे।

[फा. सं. 15762/आर आर/समूह 'ग'/आई डी एस/कार्मिक/277/र.(नि.)/2014]

दलपत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 61, तारीख 07 अगस्त, 2012 में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 20th October, 2014

**S. R.O. 68.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, (Group 'C') posts, Recruitment Rules, 2012, namely:—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, (Group 'C') posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2014.



(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, (Group 'C') posts, Recruitment Rules, 2012, for the existing entries under column (12) against each post, the following entries shall be substituted, namely:—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-

- |   |             |
|---|-------------|
| (i) Brigadier or equivalent                   | - Chairman; |
| (ii) Colonel/Lieutenant Colonel or equivalent | - Member;   |
| (iii) Major/Captain or equivalent             | - Member.   |

Note: The members of Departmental Promotion Committee at SI. No. (i) and (ii) will not be from same organisation."

[F. No. 15762/RRs/Group 'C'/IDS/PERS/277/D (Appts)/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4 vide number S.R.O. 61, dated the 7th August, 2012.

4152 (G) 14-2



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, अप्रैल 27—मई 3, 2014, शनिवार/वैशाख 7—वैशाख 13, 1936  
No. 8] NEW DELHI, APRIL 27—MAY 3, 2014, SATURDAY/VAISAKHA 7—VAISAKHA 13, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2014

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2014 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम, 1978, में—  
(क) नियम 2 में, खंड (13) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—  
(14) "आंतरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)"- से प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिक 'छ' की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का मूल्यांकन करने और अपनी सिफारिशें आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य) को देने के लिए नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;  
(15) "आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य)"- से वैज्ञानिकों 'छ' के साथ अन्योन्यक्रिया के लिए, प्रोन्नति के संबंध में एवं पीयर समिति को अपनी सिफारिशें देने के प्रयोजन के लिए नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

- (ख) नियम 8 के उपनियम (2) के खंड (ख) में,-
- (i) उपखंड (iख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- (ig) "वैज्ञानिक 'छ' से वैज्ञानिक 'ज', में प्रोन्नति के लिए, अनुसूची 1ख के अधीन विनिर्दिष्ट "आंतरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)" वैज्ञानिकों 'छ' की प्रोन्नति पर विचार करने और औसत अंक देने के लिए मूल्यांकन बोर्ड द्वारा वैज्ञानिकों की योग्यता की पात्रता का विनिश्चय करने हेतु अपने स्वयं के मानक तैयार करेगी"।
- (i) "अनुसूची 1ख के अधीन विनिर्दिष्ट आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य) वैज्ञानिक 'छ' के साथ अनन्योक्रिया करेगी और पीयर समिति को अपनी सिफारिशें देगी" :-
- (ii) "उप-खंड ((iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
- (iii) "अनुसूची 1घ में यथा विनिर्दिष्ट पीयर समिति ऐसे वैज्ञानिक 'छ' जिसने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और जिसकी आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य) द्वारा गुणागुण, उपलब्धियों, नेतृत्व क्षमता तथा प्रबंधकीय गुणवत्ताओं के आधार पर विचार करने के पश्चात् वैज्ञानिक 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के पद पर प्रोन्नति के लिए सिफारिश की गई हो, का मूल्यांकन करेगी";
- (ग) अनुसूची 1ख में, शीर्षक "वैज्ञानिक 'छ' की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों और इससे संबंधित प्रविष्टियों का पुनर्विलोकन करने के लिए आंतरिक छंटनी समिति", के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

वैज्ञानिक 'छ' की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की छंटाई करने के लिए आंतरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक) तथा वैज्ञानिक 'छ' के साथ अनन्योक्रिया करने के लिए आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य)।

#### आंतरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)

##### (ख) वैज्ञानिक 'छ'

- (i) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई विशिष्ट वैज्ञानिक ।

---अध्यक्ष

- (ii) मुख्य नियंत्रक, अनु. और वि. (मानव संसाधन) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग ।

---सदस्य

- (iii) निदेशक, कार्मिक निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग ।

---सचिव (गैर-सदस्य)

#### आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य)

- (i) अध्यक्ष, भर्ती और मूल्यांकन केंद्र या ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी क्षेत्र अर्थात् यथास्थिति, विज्ञान या गणित या मनोविज्ञान या अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी या धातु-विज्ञान में सिद्ध ज्ञान, अनुभव एवं निपुणता हो, जिनका नाम-निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाए ।

---अध्यक्ष

- (ii) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन वैज्ञानिक जो कि "विशिष्ट वैज्ञानिक" के स्तर से नीचे के न हों ।

---सदस्य

[फा. सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/भ.नि/सी/पी/12]

एस. डी. भासोर, अवर सचिव

टिप्पणी :-रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1978 भारत के राजपत्र, भाग-2, अनुभाग 4 में का.नि.आ. 8, तारीख 30 दिसम्बर, 1978, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् का.नि.आ. 307, तारीख 10 अक्टूबर 1980, का.नि.आ. 196, तारीख 2 अगस्त 1982, का.नि.आ. 159, तारीख 6 मई 1983, का.नि.आ. 176, तारीख 7 अगस्त 1984, का.नि.आ. 228 तारीख 13 नवम्बर 1984, का.नि.आ. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186, तारीख 2 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228, तारीख 6 जून, 1986, का.नि.आ. 158, तारीख 4 मई, 1987, का.नि.आ. 328, तारीख 25 सितम्बर, 1987, का.नि.आ. 11-च, तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1, तारीख 4 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33, तारीख 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 5 मार्च, 1991, का.नि.आ. 146, तारीख 4 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 24 मार्च, 1992, का.नि.आ. 125, तारीख 29 मई, 1992, का.नि.आ. 157, तारीख 26 अगस्त, 1994, का.नि.आ. 34, तारीख 8 मार्च, 1996, का.नि.आ. 33, तारीख 2 फरवरी, 1998, का.नि.आ. 100, तारीख 30 जुलाई, 1998, का.नि.आ. 119, तारीख 9 जुलाई, 1999, का.नि.आ. 51, तारीख 27 मार्च, 2003, का.नि.आ. 179, तारीख 13 नवम्बर, 2003, का.नि.आ. 35, तारीख 3 फरवरी, 2006, का.नि.आ. 52, तारीख 22 सितम्बर, 2007, का.नि.आ. 62, तारीख 5 जुलाई, 2008, का.नि.आ. 36, तारीख 9 मई, 2011, का.नि.आ. 21, तारीख 23 मार्च, 2012, का.नि.आ. 11, तारीख 20 दिसम्बर, 2013 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 22nd April, 2014

S. R. O. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1978, namely :-

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1978,-

(a) in rule 2, after clause(13), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(14) “Internal Screening Committee (Preliminary)” — means the Committee constituted under sub-rule (2) of rule 8 for the purpose of evaluating the performance appraisal reports of Scientists 'G' for promotion and giving their recommendations to the Internal Screening Committee (Main) ;

(15) “Internal Screening Committee (Main)” — means the Committee constituted under sub-rule (2) of rule 8 for the purpose of interactions with Scientists 'G' for promotion and giving their recommendations to the Peer Committee ;

(b) in rule 8, in sub-rule(2), in clause (b) ,-

(i) after sub-clause (ib), the following sub-clause shall be inserted, namely :-

“(ic) For promotion from Scientist 'G' to Scientist 'H', the Internal Screening Committee (Preliminary) specified under Schedule 1B shall evolve its own criteria for deciding the eligibility of Scientists by Assessment Board, for considering promotion and award average marks for the Scientist 'G' ”.

“(id) The Internal Screening Committee (Main) specified under Schedule 1B shall interact with the Scientist 'G' and make recommendations to Peer Committee” ;-

(ii) for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted namely:-

“(iii) The Peer Committee as specified in Schedule 1D shall assess Scientists 'G', who have completed three years regular service in the grade and have been recommended by the Internal Screening Committee (Main), for promotion to the post of Scientist 'H' (Outstanding Scientists) based on merit, achievements, leadership and managerial qualities”;

(c) in Schedule 1B, for the heading “Internal Screening Committee to Review Performance Appraisal Reports of Scientists 'G' and the entries relating thereto”, the following shall be substituted namely:-

**“The Internal Screening Committee (Preliminary) to screen Annual Performance Appraisal Reports of Scientist 'G' and Internal Screening Committee(Main) for interaction with Scientists 'G'”**

**Internal Screening Committee (Preliminary)**

(b) Scientist 'G'

(i) Secretary, Department of Defence Research and Development or a Distinguished Scientist nominated by him. ----- Chairperson

(ii) Chief Controller, R&D(HR), Department of Defence Research and Development. ----- Member

(iii) Director, Directorate of Personnel, Department of Defence Research and Development. ----- Secretary (Non-Member)

**Internal Screening Committee (Main)**

(i) Chairman, Recruitment and Assessment Centre or a person having proven knowledge, experience and expertise in any field namely Science or Mathematics or Psychology or Engineering or Technology or Metallurgy, as the case may be, to be nominated by the Central Government. ----- Chairperson

(ii) Three Scientists not below the level of “Distinguished Scientist” nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development”. ----- Members

[F. No. DHRD/76205/DRDS/RRs/CP/12]

S. D. BHASOR, Under Secy.

**Note:-** The Defence Research and Development Service Rules, 1978 here published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide number S.R.O. 8, dated the 30th December, 1978, and subsequently amended vide S.R.O.307, dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159, dated the 6th May, 1983, S.R.O. 176, dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228, dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170, dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186, dated 2nd August, 1985, S.R.O.228, dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158, dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328, dated the 25th September, 1987, S.R.O. 11-E, dated the 10th August, 1990, S.R.O. 1, dated the 4th January, 1991, S.R.O. 33, dated the 17th January, 1991, S.R.O. 74, dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146, dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74, dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125, dated the 29th May, 1992, S.R.O. 157, dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34, dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33, dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100, dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119, dated the 9th July, 1999, S.R.O. 51, dated the 27th March, 2003, S.R.O. 179, dated the 13th November, 2003, S.R.O. 35, dated the 3rd February, 2006, S.R.O. 52, dated the 22nd September, 2007, S.R.O. 62, dated the 5th July, 2008, S.R.O.36 dated the 9th May, 2011, S.R.O. 21 dated the 23rd March, 2012, S.R.O. 11 dated the 20th December, 2013.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरों के कोर में प्रयोगशाला निदर्शक/प्रारूपक, प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला परिचर के पदों पर जैसा कि रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय के पत्र संख्या बी/15198/रिच. (आर.ओ.आई.)/ई.एम.ई. सिव.-3 दिनांक 9 जून, 2006 के द्वारा अनुमोदित व रक्षा मंत्रालय के विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरों के अभिलेख कार्यालय निर्देशन (आर.ओ.आई.)/2006 (खण्ड-II) में प्रकाशित किया गया है, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक इंजीनियरों के कोर में प्रयोगशाला निदर्शक/प्रारूपक, प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला परिचर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक इंजीनियरों के कोर, प्रयोगशाला कर्मचारीवृन्द समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मई 4—मई 10, 2014, शनिवार/वैशाख 14—वैशाख 20, 1936  
No. 9] NEW DELHI, MAY 4—MAY 10, 2014, SATURDAY/VAISAKHA 14—VAISAKHA 20, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

( रक्षा उत्पादन विभाग )

( वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय )

नई दिल्ली, 6 मई, 2014

का.नि.आ. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय वर्ग III तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य अननुसूचित पद भर्ती नियम, 1972 को, जहां तक उसका संबंध सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी- I और सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी-II पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' पद (सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा व अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering probation lifting or confirmation) consisting of :—	Not applicable.
(1) Commandant or Officer Commanding or an officer not below the rank of Captain	—Chairman
(2) Two Officers of the rank of Captain or junior Commissioned Officers or Foreman or Chargeman	—Members

[F. No. B/89228/RR/Searchcr/EME Civ. (C-2)/63/D(Apptts)/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.

( रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग )

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2014

का.नि.आ. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में :—

(क) स्तंभ (10) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

“पचासी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पंद्रह प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा”

(ख) स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

(i) दस प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने 1800 ग्रेड वेतन के साथ तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।

(परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालिस वर्ष और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पचास वर्ष है।)

टिप्पण :— यदि ऐसे कर्मचारी उपलब्ध रिक्तियों से अधिक, संख्या में विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, ऐसे अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों पर उत्तरवर्ती वर्षों में उदभूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पहले की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर जो बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, से पहले विचार किया जाए।

(ii) पांच प्रतिशत चयन के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने 1800 ग्रेड वेतन के साथ उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किये जाने वाले रिक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।

[फा. सं. डी.एच.आर.डी./76257/भर्ती नियम/प्रशासन/सी/पी/03]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक का. नि. आ.-12, तारीख 15 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

## (Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 7th April, 2014

S.R.O. 37.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013, in the Schedule,-

(a) in column (10), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Eighty-five percent by direct recruitment and fifteen percent by promotion”.

(b) in column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Promotion :

(i) Ten per cent. through departmental examination from Group 'C' staff in the grade pay of Rs.1800 with three years regular service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7).

(The maximum age-limit for eligibility of examination is forty-five years in the case of general candidates and fifty years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes).

**Note:** If more of such employees than the available number of vacancies qualifies in the departmental examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(ii) Five per cent on selection basis from amongst Group 'C' staff in the grade pay of Rs.1800 with three years regular service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7)”.

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin/CP/03]

S. D. BHASOR, Under Secy.

**Note:** The principal rule was published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide notification number S.R.O.12 dated 15th February, 2013.



(11)

**Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

**For Armed Forces Personnel:**

**Deputation Re-employment :** The Armed Forces personnel holding the rank of Master Chief Petty Officer or Chief Petty Officer in the Army, Navy or Air Forces in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 and possessing degree in law from a recognised University who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year shall also be considered and if selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation in respect of civil post).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of re-employed Armed Forces Personnel) consisting of :**

Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

1. Deputy Director General, Coast Guard Headquarters —Chairman
2. Chief Law Officer, Coast Guard Headquarters —Member
3. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters —Member

[F. No. CP/0601/Legal Assistant/1220/D(CG)/2013]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.

( रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग )

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2013

का.नि.आ. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक पद 'ख') भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक, पद 'ख') भर्ती (संशोधन) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक, पद 'ख') भर्ती नियम, 2011, अनुसूची के

(i) स्तंभ 5 में, 'लागू नहीं' शब्दों के लिए, 'गैर-चयन' शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) स्तंभ 10 में, 'चयन' शब्द के लिए जहां-जहां यह आता है उसके स्थान पर 'ज्येष्ठता' शब्द रखे जाएंगे।

(iii) स्तंभ 11 में, प्रोन्नति शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह कि इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को अपने-अपने विभागीय प्रोन्नति समिति-2 में नियमित आधार पर प्रशासनिक सहायक 'क' पद धारण किए हुए व्यक्तियों के लिए प्रशासनिक सहायक 'ख' पद पर प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा पांच वर्ष की बनी रहेगी।”

[मिसिल सं. मासविनि/76257/भर्ती नियम/प्रशासनिक सहायक, 'ख'/सी/पी/04]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 59 तारीख 27 जुलाई, 2011 को प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 11th September, 2013

**S.R.O. 65.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant, 'B' post) Recruitment Rules, 2011 namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011.

(i) in column 5, for the words 'Not applicable', the words 'Non-selection', shall be substituted;

(ii) in column 10, for the word 'selection' where ever it occurs the word 'seniority', shall be substituted;

(iii) in column 11, after heading 'promotion' and the entries relating thereto the following proviso may be inserted, namely:-

Provided that the eligibility service for promotion to the post of Administrative Assistant 'B' shall continue to be five years for persons holding the post of Administrative Assistant 'A' on regular basis in the respective Departmental Promotion Committee-II Group on the date of notification of these rules.

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin Asst 'B'/C/P/04]

S. D. BHASOR, Under Secy.

**Foot Note :** The Principal rule were notified vide SRO 59 dated 27 July 2011.

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

का.नि.आ. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, प्रोग्राम कार्यालय और सचिवालय कार्यक्रम अधिकारी, उप कार्यक्रम अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी तथा कनिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी और आशुलिपिक समूह 'ख' (ज्येष्ठ व्यक्तिक सहायक) भर्ती नियम, 1989, जहां तक इनका संबंध, उप कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति), सहायक कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति), सहायक कार्यक्रम अधिकारी (वित्त), सहायक कार्यक्रम अधिकारी (साधारण), तथा कनिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी (समन्वय) के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में कार्यक्रम कार्यालय तथा सचिवालय पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, कार्यक्रम कार्यालय और सचिवालय, भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों के नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप-कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति)	01* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या

(ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास समन्वय, सम्पर्क, वैयक्तिक प्रबंधन के संबंध में वैज्ञानिक अथवा तकनीकी परियोजनाओं के प्रबंधन का 10 वर्ष का अनुभव हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

लागू नहीं होता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति)	01* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिसके पास वैज्ञानिक या तकनीकी परियोजनाओं के प्रबंधन में समन्वय, संपर्क, वैयक्तिक प्रबंधन के संबंध में पांच वर्षों का अनुभव हो ।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी )।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।</p>

(12)

लागू नहीं होता

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक कार्यक्रम अधिकारी (वित्त)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

(10)	(11)
------	------

प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिसने आहरण और संवितरण अधिकारी के रूप में वित्तीय नियमों और विनियमों का निर्वचन करने, बजट विश्लेषण और प्रक्षेपणों पर कार्य का पांच वर्ष का अनुभव हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)

लागू नहीं होता

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक कार्यक्रम अधिकारी (साधारण)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

(10)	(11)
------	------

प्रतिनियुक्ति द्वारा

**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिसको गृह-प्रबंधन और साधारण प्रशासन, भंडार की खरीद, भंडार के प्रबंध, निविदाओं के जारी करने व उनको अंतिम रूप से निपटाने, दस्तावेजों, आदि में पांच वर्ष का अनुभव हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)

लागू नहीं होता

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. कनिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी (समन्वय)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
(10)			(11)		
प्रतिनियुक्ति द्वारा			प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) प्रोटोकाल कार्यों जिसमें बैठकों, सेमिनार एवं कांफ्रेंस का आयोजन शामिल हैं, में तीन वर्ष का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसमें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		
(12)			(13)		
लागू नहीं होता			संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		

[फा. सं. डी एच आर डी/16345/आर आर/पीओ/सी/पी/01]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 4 में का.नि.आ. सं. 12 दिनांक 13 जनवरी, 1986 को प्रकाशित किए गए थे। आगे जिनका स्थान का.नि.आ. सं. 66 दिनांक 18 मार्च, 1989 ने लिया तथा का.नि.आ. सं. 141 दिनांक 18 जून, 1991 द्वारा आगे संशोधित किए गए।



New Delhi, the 27th September, 2013

**S.R.O. 66.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development, Programme Office and Secretariat (Programme Officer, Deputy Programme Officer, Assistant Programme Officer and Junior Programme Officer and Stenographer Grade 'B' (Senior Personal Assistant) Recruitment Rules, 1989) in so far they relate to the post of Deputy Programme Officer (Manpower), Assistant Programme Officer (Manpower), Assistant Programme Officer (Finance), Assistant Programme Officer (General) and Junior Programme Officer (Coordination) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the Programme Officer and Secretariat posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development, Programme Office and Secretariat, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

**3. Name of posts, number, classification and pay band and grade pay/pay scale.**—The name of post, number, their classification and the pay band, grade pay or scale of Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the schedule aforesaid.

**5. Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission; relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Deputy Programme Officer (Manpower)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus Grade Pay Rs. 7600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

By deputation

**Deputation :** Officers under the Central Government :

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing ten years experience in Managing Scientific or Technical Projects in relation to Coordination, Liaisoning, Personal Management.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Programme Officer (Manpower)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600	Not applicable	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		

By deputation

**Deputation : Officers under the Central Government :**

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in Pay Band-2 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing five years experience in Managing Scientific or Technical Projects in relation to Coordination, Liaisoning, Personal Management.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

Not applicable

(13)

Consultation with Union Public Service Commission necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Programme Officer (Finance)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 6600	Not applicable	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		
	By deputation	<p><b>Deputation :</b> Officers under the Central Government :</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in Pay Band-2 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing five years experience as Drawing and Disbursing Officer, interpretation of Financial Rules or Regulations, making Budgetary Analysis and Projections.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p><b>Note :</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>			
	(12)		(13)		
	Not applicable		Consultation with Union Public Service Commission necessary.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Programme Officer (General)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 6600	Not applicable	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		
By deputation			<p><b>Deputation :</b> Officers under the Central Government :</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-34800 plus Grade Pay of Rs. 5400 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in Pay Band-2 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing five years experience in House Keeping and General Administration, Purchase of Stores, Managing of Stores, issuing and finalizing of tenders, documents, etc.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p><b>Note :</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
	(12)		(13)		
	Not applicable		Consultation with Union Public Service Commission necessary.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Junior Programme Officer (Coordination)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)			(11)	
	By deputation	<p><b>Deputation :</b> Officers under the Central Government :</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in Pay Band-2 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing three years experience in protocol functions including work relating to arranging Meetings, Seminars and Conferences.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p><b>Note :</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>			
	(12)			(13)	
	Not applicable			Consultation with Union Public Service Commission necessary.	

[F.No. DHRD/16345/RR/PO/C/P/01]

S. D. BHASOR, Under Secy.

**Note :** The Principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 4 vide S.R.O. No. 12, dated, the 13th January, 1986. The same was further superseded vide S.R.O. No. 66, dated the 18th March 1989 and further amended vide S.R.O. No. 141, dated the 18th Jun., 1991.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, अगस्त 4—अगस्त 10, 2013, शनिवार/श्रावण 13—श्रावण 19, 1935  
No. 20] NEW DELHI, AUGUST 4—AUGUST 10, 2013, SATURDAY/SRAVANA 13—SRAVANA 19, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2013

का.नि.आ. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (समूह 'क' राजपत्रित) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) भर्ती नियम, 1991 तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, (प्रशासनिक और भंडार पद) भर्ती नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' राजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों के नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

## 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. संयुक्त निदेशक (प्रशासनिक)	6* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-4, रु. 37400— 67000 + ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	(7)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	(8)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	(9)
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		शून्य	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(10)	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	(11)		
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा		प्रोन्नति :			
		वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 7600 रु. के वेतनमान में ऐसा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक			



(11)

अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1-1-2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री,

(ii) प्रशासनिक, स्थापना या लेखा सम्बन्धी मामले में बारह वर्ष का अनुभव रखता हो।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए। जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वे ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना

भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :

प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य —अध्यक्ष
2. मुख्य नियंत्रक अनुसंधान और विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य
3. रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक 'जी' —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	16* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		शून्य

(10)

(11)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 के वेतनमान में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 6600 रु. जिसने मूल काडर या विभाग में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।

**टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1-1-2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(11)

**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री,

(ii) प्रशासनिक, स्थापना या लेखा सम्बन्धी मामले में बारह वर्षों का अनुभव ।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए । जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वे ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए ) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य —अध्यक्ष
2. मुख्य नियंत्रक अनुसंधान और विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य
3. निदेशक, कार्मिक निदेशालय अथवा निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य

(13)

प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(12)

4. निदेशक, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय या निदेशक/  
उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय/वित्त  
(अनुसंधान और विकास)

—सदस्य

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/जेडी (प्रशासन) एवं सीएओ/सी/पी/01]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE**

**(Department of Defence Research and Development)**

New Delhi, the 8th July, 2013

**S.R.O. 53.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence (Group 'A', Gazetted) Joint Director (Administration) Recruitment Rules, 1991 and Defence Research and Development Organization (Administrative and Stores Posts) Recruitment Rules, 1993 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer, Group 'A' Gazetted Posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—

**1. Short Title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Name of the posts, number, classification and pay band and grade pay/pay scale.** —The name of the said posts, number, their classification and the pay band, grade pay and scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.

**4. Method of recruitment, age limit, and other qualification.** — The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

**5. Disqualifications.** —No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Joint Director (Administrative)	6* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial.	Pay Band-4, Rs. 37400—67000 plus Grade Pay of Rs. 8700	Selection	Not applicable
Educational and other qualification required for direct recruits			Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Nil
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made		
(10)			(11)		
By Promotion failing which by deputation			<p><b>Promotion :</b></p> <p>Chief Administrative Officer in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600 in Pay Band-3 with five years of regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Note : 2</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>		

(11)

**Deputation :** Officers of the Central or State Government or Union Territories;

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre of Department; and

(b) possessing following educational qualification and experience :—

(i) degree of a recognised University;

(ii) twelve years experience in Administrative Establishment or Accounts matters.

(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note :** For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (the date from which the revised Pay Structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

(12)

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :**

1. Chairman or Member of Union Public Service Commission

—Chairman

Consultation with Union Public Service Ministerial. necessary while appointing an officer on deputation.

(12)

2. Chief Controller (Research & Development  
Defence Research and Development  
Organisation —Member
3. Joint Secretary or Scientist 'G' in  
Ministry of Defence —Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Chief Administrative Officer	16* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Pay Band-3, Rs. 15600 39100 plus Grade Pay of Rs. 7600	Selection	Not applicable
	(7)			(8)	(9)
	Not applicable			Not applicable	Nil
	(10)			(11)	

By Promotion failing which by deputation

**Promotion :**

Senior Administrative Officer Grade-I and Senior Stores Officer Grade-I in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3, with five years regular service in the cadre or department.

**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note : 2** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

**Deputation :** Officers of the Central or State Government or Union Territories;

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(11)

(b) possessing following educational qualification and experience:—

(i) degree of a recognised University;

(ii) ten years experience in Administrative, Establishment or Accounts matters.

(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note :** For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (the date from which the revised Pay Structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee  
(for considering promotion) consisting of :**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission   | —Chairman |
| 2. Chief Controller (Research & Development Defence Research and Development Organisation  | —Member   |
| 3. Director of Personnel or Director of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation                                    | —Member   |
| 4. Director, Department of Defence, Ministry of Defence or Director/Deputy Financial Advisor, Ministry of Defence/Finance (Research and Development) | —Member   |

Consultation with Union Public Services Commission necessary while appointing an officer on deputation.

[F. No. DHRD/16342/RRs/JD (Admn.) & CAO/C/P/01]

S. D. BHASOR, Under Secy.





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, जून 2—जून 8, 2013, शनिवार/ज्येष्ठ 12—ज्येष्ठ 18, 1935  
No. 14] NEW DELHI, JUNE 2—JUNE 8, 2013, SATURDAY/JYAISTHA 12—JYAISTHA 18, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 2013

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटरक्षक संगठन समूह "ख" और समूह "ग" हिंदी अनुवाद पद [हिंदी अधिकारी, ज्येष्ठ अनुवादक(हिंदी) और कनिष्ठ अनुवादक(हिंदी)] भर्ती नियम, 2000 का अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में सहायक निदेशक(राजभाषा), ज्येष्ठ अनुवादक(हिंदी) और कनिष्ठ अनुवादक(हिंदी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन समूह "क" और "ख" हिंदी अनुवाद पद [सहायक निदेशक(राजभाषा), ज्येष्ठ अनुवादक(हिंदी) और कनिष्ठ अनुवादक(हिंदी)] भर्ती नियम, 2013 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता: वह व्यक्ति,—
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

## (रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 2013

का.नि.आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' (हिंदी) पद भर्ती नियम, 1998 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय ज्येष्ठ सहायक (हिंदी) और सहायक (हिंदी) पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ज्येष्ठ सहायक (हिंदी) और सहायक (हिंदी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद नाम संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पद नाम, संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	अनुसूची		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
			वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ सहायक (हिंदी)	19* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300—34800 + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(10)

प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति : ऐसे सहायक (हिंदी) जिनकी वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पूर्व वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. मुख्य नियंत्रक (अनुसंधान और विकास) रक्षा —अध्यक्ष  
अनुसंधान और विकास संगठन
2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा —सदस्य  
अनुसंधान और विकास संगठन
3. अवर सचिव, रक्षा (अनुसंधान और विकास) रक्षा मंत्रालय —सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2327 GE/13-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक (हिंदी)	66* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड- 2 9300— 34800 + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।  टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
				(8)	(9)
	आवश्यक :			लागू नहीं होता	सीधे भर्ती हुए व्यक्ति के लिये दो वर्ष
	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी या हिन्दी में मास्टर डिग्री जो डिग्री स्तर पर हिन्दी या अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के साथ हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जो डिग्री स्तर पर हिन्दी परीक्षा एवं अनुदेश के माध्यम के रूप में तथा अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में के साथ हो। या हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषयों के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा मुख्य विषय के रूप में के साथ बैचलर डिग्री और हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम भी है हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव। या टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के				

(7)

विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(10)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या

(ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा हैं; और

(ख) स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव धारित करता हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या पूर्व वह तारीख जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है नियमित आधार पर की गई सेवा छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है, जिन्हें के लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

- |   |          |
|---|----------|
| 1. मुख्य नियंत्रक (अनुसंधान और विकास) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन निदेशालय                   | —सदस्य   |
| 3. अवर सचिव, रक्षा (अनुसंधान और विकास) रक्षा मंत्रालय               | —सदस्य   |

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. मासविनि/76239/भर्ती नियम/हिन्दी/सी/पी/02]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

## (Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 27th May, 2013

**S.R.O. 34.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence Group 'C' (Hindi) post Recruitment Rules 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Senior Assistant (Hindi) and Assistant (Hindi) in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Senior Assistant (Hindi) and Assistant (Hindi) Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to posts specified in Schedule annexed to these rules.

**3. Name of the Post, Number, classification, pay band and grade pay/pay scale.**—The name of the posts, number their classification, pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions require to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Assistant (Hindi)	19* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gzatted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 Plus grade pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable

[ भाग II—खण्ड 4 ]

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
<b>Method of recruitment:</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(10)	(11)	
By Promotion	<p><b>Promotion :</b> Assistant (Hindi in the pay scale, Rs. 9300-34800 in the grade pay of Rs. 4200 in PB-2 with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p><b>Note 1 :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
(12)	(13)	
<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:</b>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	
1. Chief Controller (Research & Development Organisation	—Chairman	
2. Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research Development Organisation	—Member	
3. An officer not below the rank of Under Secretary, D(R&D) Min. of Defence	—Member	

2327 GF/13-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant (Hindi)	66* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300— 34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants's upto five years accordance with the instruc- tions or order issued by the Central Government.  Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunacha Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spit district and Pangi sub-divisior of Chamba District of Himacha Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : Master's degree of a recognized university in English/ Hindi with Hindi/English as compulsory/elective subject at the degree level :  OR Master's degree of a recognized University in any subject with Hindi as the medium of instruction and examination with English as a compulsory subject at degree level :  OR Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects or either of the two as medium of examination and other as a main subject plus recognized Diploma or Certificate Course in translation from Hindi and English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi English and vice versa in Central or State Government offices, including Government of India Undertakings.  Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled	Not applicable	Two years for direct recruits.



(7)

Tribes: if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10)

By direct recruitment failing which by deputation

(11)

**Deputation :—**Officers under Central Government :

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; Or

(ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5200- -20200 with grade pay of Rs. 2400 in PB-1 OR equivalent in the parent cadre or department and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note 1 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (The date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit extend only for the posts for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for consideration confirmation) consisting of :**

1. Chief Controller (Research & Development) Defence Research and Development Organisation —Chairman
2. A Director from Defence Research Development Organisation —Member
3. Under Secretary, Min. of Defence, Defence (Research & Development) —Member

(13)

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.



नई दिल्ली, 23 मई, 2013

का.नि.आ. 35.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, कैंटीन संवर्ग (समूह 'ग' तथा समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 1999, जहां तक इनका संबंध कैंटीन परिचर पदों से है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, चिकित्सा परिचर भर्ती नियम, 1999 जहां तक इनका संबंध चिकित्सा परिचर पदों से है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, प्रयोगशाला सेवाएं (समूह 'ग' तथा समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 2000 जहां तक इनका संबंध परिचर प्रयोगशाला सेवा-क, ख एवं ग पदों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (गैर औद्योगिक) पद भर्ती नियमों, 2005 से है को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्द्वारा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन.—इन नियमों के आरंभ होने पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में निम्नलिखित पदों के पदधारी परिचर बहु-कौशल प्राप्त-III (ए एम एस-III) के रूप में पुनः अभिहित होंगे :—

- (i) कार्यालय परिचर
- (ii) कॉस्मेटिक परिचर
- (iii) सुरक्षा परिचर
- (iv) उद्यान परिचर
- (v) कैंटीन परिचर
- (vi) चिकित्सा परिचर
- (vii) परिचर प्रयोगशाला सेवा -क, ख एवं ग

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति, आयु-सीमा और अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों की बाबत, इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद हैं	सीधे भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ए एम एस-III	3397* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. +1800 रु ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को आयु में पाँच वर्ष की छूट दी जा सकती है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में पाँच वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है।
<p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उपमंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने को कहा गया है।</p>					
सीधे भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं		क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)		(8)		(9)	
आवश्यक :		लागू नहीं होता		दो वर्ष	
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य					

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

शत प्रतिशत सीधी भर्ती

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना

भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति-III

लागू नहीं होता ।

- (i) संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला का प्रमुख —अध्यक्ष  
(ii) संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य  
(iii) अन्य प्रयोगशाला/स्थापना अथवा मुख्यालय से संबंधित स्थापना/प्रयोगशाला के सदस्यों की पंक्ति समतुल्य अथवा ऊपर का कोई अधिकारी —सदस्य

[फा. सं. मासविनि/76257/एमएससी/आरआर/सी/पी/01]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 2013

**S.R.O. 35.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Canteen Cadre (Group 'C' and Group 'D') posts Recruitment Rules, 1999 in so far as it concerns Centeen Attendant posts, Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Medical Attendant, Recruitment rules, 1999 in so far as it concerns Medical Attendant posts, Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, Attendant, Laboratory Services (Group 'C' and Group 'D') Recruitment Rules, 2000 in so far as it concerns the posts of Attendant Laboratory Service-A, B and C posts and Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, Group 'C' and Group 'D' (Non-Industrial) post Recruitment Rules, 2005 except as resect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Initial Constitution.**— The incumbents of the following posts in the Defence Research and Development Organization at the commencement of these rules shall be re-designated as Attendant Multi-Skilled-III (AMS-III) :—

- (i) Office Attendant
- (ii) Cosmetic Attendant
- (iii) Security Attendant
- (iv) Garden Attendant
- (v) Canteen Attendant
- (vi) Medical Attendant
- (vii) Attendant Laboratory Service –A, B and C

**3. Number of posts, classification and pay band, grade pay or scales of pay :—**The number of the said posts, their

classification and pay band and grade pay or scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, promotion, age limit and qualifications.**—The Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from to time.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AMS-III	3397* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 + Grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years of age relaxable for Govt. servants upto five years in accordance with instructions/orders issued by the Central Government and further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,

(6)


Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<b>Essential :</b> 10th Class pass or equivalent from a recognized Board or Industrial Training Institute pass.	Not Applicable	Two years
<b>Method of recruitment :</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(10)	(11)	
100% direct recruitment	Not applicable	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(12)	(13)	
<b>Departmental Promotion Committee-III</b>	Not applicable	
(i) Head of the concerned Establishment or Laboratory	—Chairman	
(ii) Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	—Member	
(iii) An officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment	—Member	

[F. No. DHRD/76257/Multi Skilled Cadre/RRs/C/P/01]

S. D. BHASOR, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 12]

नई दिल्ली, मई 12—मई 18, 2013, शनिवार/वैशाख 22—वैशाख 28, 1935

No. 12]

NEW DELHI, MAY 12—MAY 18, 2013, SATURDAY/VAISAKHA 22—VAISAKHA 28, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2013

का.नि.आ. 26.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (भंडार) पद, भर्ती नियम, 1998 को जहां तक उनका संबंध, भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख' पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' (भंडार) पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद, भर्ती नियम, 2013 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—पद का नाम, संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।





(10)

परन्तु यदि किसी वर्ष संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति II समूह में भंडार सहायक 'ख' की श्रेणी में भरी जाने वाली कुल रिक्तियां 8 से कम हैं, तो उस वर्ष इस समूह के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

(11)

परन्तु इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को भंडार सहायक 'क' का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए भंडार सहायक 'ख' के पद पर प्रोन्नति के लिए संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में पात्रता सेवा पांच वर्ष ही रहेगी।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना

भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति II का संघटन

लागू नहीं होता।

1. संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला का प्रमुख —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला का कोई अधिकारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II से अनधिक पक्ति का कोई अधिकारी या समतुल्य अधिकारी —सदस्य
3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I अथवा वैज्ञानिक 'सी' के पद से अन्यून पक्ति का कोई अधिकारी जिसका संबंधित डीपीसी-II की संघटक स्थापना(ओं)/प्रयोगशाला(ओं) से संबंध न हो। —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. भंडार सहायक 'क'	235* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष और अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिस वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)। टिप्पण : अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख इन पदों के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट आवेदन प्ररूप प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

(7)	(8)	(9)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं अथवा समतुल्य उत्तीर्ण। (ii) कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षा : अंग्रेजी अंकण @ 35 शब्द प्रति मिनट हिन्दी टंकण @ 30 शब्द प्रति मिनट (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दबाव की औसत से 10500 कुंजी डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 कुंजी डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप है)। समय-10 मिनट	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(10)	(11)	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
(12)	(13)	
विभागीय प्रोन्नति समिति II का संघटन (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. सबद्ध स्थापना या प्रयोगशाला का प्रमुख —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य 3. किसी अन्य प्रयोगशाला/स्थापना या मुख्यालय से कोई एक अधिकारी जो संबंधित स्थापना/प्रयोगशाला के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर के रैंक का हो —सदस्य	आवश्यक नहीं ।	

[फा. सं. मासविनि/76257/भण्डार सहायक 'क' एवं 'ख'/आरआर/सी/पी/02]  
एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्या का.नि.आ. 11(अ) दिनांक 29 मई, 1998 में प्रकाशित किये गये थे।

## MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd April, 2013

**S.R.O. 26.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence, Research and Development Organisation, Ministry of Defence Group 'C' (Stores) posts Recruitment Rules, 1998, in so far as they relate to the post of Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B' except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' (Stores) posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B') post, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Name of post, number, classification and pay band and grade pay/pay scale.**—The name of post, number, its classification and the pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

**4. Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Store Assistant 'B'.	200* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Ministerial	Pay Band-1 : Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruitments			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Not applicable
<b>Method of recruitment :</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(10)			(11)		
(i) 75% by promotion. (ii) 25% by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from Store Assistant 'A' in the Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900 with five years' regular service in the grade, failing which by promotion.			<b>Promotion :</b> Store Assistant 'A' in the scale of pay of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 in PB-1 with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. Provided that the eligibility service for promotion to the post of Store Assistant 'B' shall continue to be five years for persons holding the post of Store Assistant 'A' on regular basis in the respective Departmental Promotion Committee-II Group on the date of notification of these rules.		

1828 GZ/113-2

(10)	(11)
Provided that if the total number of Vacancies to be filled in a year in the grade of Store Assistant 'B' in the respective Departmental Promotion Committee II Group is less than 8, no Limited Departmental Competitive Examination shall be held for the group in that year.	Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

(12)	(13)
Composition of Departmental Promotion Committee II	Not applicable.

(12)	(13)
Composition of Departmental Promotion Committee II	Not applicable.
1. Head of the Concerned Establishment or Laboratory	—Chairman
2. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-II or equivalent Officer of the concerned Establishment or Laboratory	—Member
3. An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientists 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment(s)/Laboratory (ies) of the respective DPC-II Group.	—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Store Assistant 'A'	235* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Ministerial	Pay Band-1 : Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in the case of general candidates and upto forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determination the age-limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of applications from as specified in the advertisement of Defence Research and Development Organisation for the posts.

(7)	(8)	(9)
<b>Essential :</b>	Not applicable	Two years
12th Class pass or equivalent from a recognized Board or University.		
<b>Skill test on Computer :</b>		
English Typing @ 35 words per minutes or Hindi Typing @ 30 words per minutes.		
(35 words per minutes and 30 words per minutes correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).		
Time - 10 minutes.		
(10)		(11)
By direct recruitment		Not applicable
(12)		(13)
<b>Composition of Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)</b>		Not necessary.
1. Head of the Concerned Establishment or Laboratory	—Chairman	
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	—Member	
3. An Officer from another Laboratory/Establishment or HQrs equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment	—Member	

[F. No. DHRD/76257/Store Assistant 'A' &amp; 'B'/RRs/C/P/02]

S. D. BHASOR, Under Secy.

**Foot Note :** The previous rules were published in the Official Gazette *vide* S.R.O. No. 11E dated the 29th May, 1998.

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India



प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मार्च 3—मार्च 9, 2013, शनिवार/फाल्गुन 12—फाल्गुन 18, 1934  
No. 6] NEW DELHI, MARCH 3—MARCH 9, 2013, SATURDAY/PHALGUNA 12—PHALGUNA 18, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग)

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

का.नि.आ. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ए' पद) पद भर्ती नियम, 2010, जहां तक इसका संबंध प्रशासनिक सहायक 'ए' के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक सहायक 'ए' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ए' पद) प्रद भर्ती नियम, 2013 हैं।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण व वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुपूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड या ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक सहायक 'ए'	511* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. -	अचयन	18-27 वर्ष टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों आदि के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मामले में निर्णायक तारीख, पदों के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र प्राप्ति करने की अंतिम तारीख होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

आवश्यक :

मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से कक्षा 12 उत्तीर्ण अथवा समतुल्य।

हां, जैसा स्तंभ 11 में निर्दिष्ट है

दो वर्ष



(7)

कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण मानक :  
अंग्रेजी टंकण 35 शब्द प्रति मिनट की दर से हिन्दी टंकण  
30 शब्द प्रति मिनट की दर से (निर्धारित समय- 10 मिनट)  
(35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द  
के लिए औसतन 5 की डिप्रेसन्स पर (10500  
केडीपीएच/9000 केडीपीएच के बराबर हैं ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा  
या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों  
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/  
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

(i) विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर 1800 रु. ग्रेड  
वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा  
समतुल्य हों और इस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा  
की हो, दस प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा प्रोन्नति

(i) 1800 रु. ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारी जो 12वीं कक्षा पास अथवा  
समतुल्य हों और इस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, और जिनके पास  
सीधी भर्ती के विहित अर्हताएं या समतुल्य अर्हताएं हो, दस प्रतिशत विभागीय  
परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।

(ii) पाँच प्रतिशत ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी, जिन्होंने 1800 रु.  
ग्रेड वेतन वाले पद में तीन साल की नियमित सेवा की हो,  
चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।

टिप्पण 1 : परीक्षा के लिए योग्यता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है  
(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष की आयु)  
टिप्पण 2 : यदि उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी परीक्षा में योग्य पाये  
जाते हैं तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों पर आने वाले वर्षों में उत्पन्न होने वाली  
रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पहले परीक्षा उत्तीर्ण  
करने वाले कर्मचारियों पर बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों से पहले विचार हो  
जाये ।

(ii) पाँच प्रतिशत ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी, जिन्होंने 1800 रु. ग्रेड वेतन के पद  
में तीन साल की नियमित सेवा की हो, चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा और  
जिनके पास सीधी भर्ती के विहित अर्हताएं या समतुल्य अर्हताएं हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग  
से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के लिए) :—

लागू नहीं होता ।

1. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य स्थापन/प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक  
अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला/स्थापन के सदस्यों  
के समतुल्य या उनसे ऊपर के रैंक का हो —सदस्य

[मिसिल सं. डीएचआरडी/76257/आर आर/प्रशासन/सी/पी/03]

एस. डी. भसौर, अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 15th February, 2013

**S.R.O. 12.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment Rules, 2010, in so far as it relates to the post of Administrative Assistant 'A', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Administrative Assistant 'A' in the Ministry of Defence, the Department of Defence research and Development, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the said schedule annexed to these rules.

**3. Method of Recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Assistant 'A'	511*(2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	Between 18 and 27 years Note I. Relaxable for Government Servants upto 40 years in the case of general candidates and upper a

(6)

relaxable for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Ex-serviceman, etc as per orders of Central Government issued from time to time.

Note 2.—The crucial date for determination of the age-limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application from as specified in the advertisement of the posts.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
---	---	-----------------------------

(7)

(8)

(9)

**Essential :**

yes, to the extent indicated on Col-11

Two years

1. 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University.

**Skill test norms on Computer :**

English Typing @ 35 words per minutes or Hindi Typing @ 30 words per minutes (Time allowed -10 minutes.)

(35 words per minutes and 30 words per minutes correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

Eighty five percent by direct recruitment and fifteen percent by promotion.

**Promotion :**

(i) Ten percent by promotion through Departmental examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualifications and had rendered 3 years regular service in the grade on the basis of departmental qualifying examination.

(i) 10% by promotion through Departmental Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade and possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment or equivalent qualification.

758 GI/13-2

(10)	(11)
(ii) Five percent by promotion on the basis of selection from amongst Group 'C' employee who have rendered three years regular service in posts with the grade pay of Rs. 1800	<p><b>Note 1 :</b> The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for Schedule Castes/Schedule Tribes).</p> <p><b>Note 2 :</b> If more of such employees than the number of vacancies available are qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p> <p>(ii) Five percent by promotion on the basis of selection from amongst Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800 and possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment or equivalent qualification.</p>

(12)	(13)
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)	(13)
<b>Departmental Promotion Committee for consideration promotion and for confirmation consisting of :—</b>	Not applicable.
1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman	
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Members	
3. An Officer from another Laboratory/ Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment —Member	

[ F. No. DHRD/76257/RRs/Admin/C/P/03 ]

S.D. BHASOR, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2013

**का.नि.आ. 13.**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय कैडेट कोर, अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 31) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) नियम, 2013 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम, 1948 में,—
  - (i) नियम 5 के खंड (ख) में, '24 वर्ष की आयु के भीतर' शब्दों और अंकों के स्थान पर "26 वर्ष की आयु के भीतर" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
  - (ii) नियम 12 के उपनियम (1) में निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
    - (1) "इन नियमों के भाग 7 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेना, नौसेना और वायु सेना राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग में अभ्यावेदन के लिए स्वीकृत प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की कालावधि के लिए अभ्यावेशित किया जाएगा।"



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, नवम्बर 4—नवम्बर 10, 2012, शनिवार/कार्तिक 13—कार्तिक 19, 1934  
No. 23] NEW DELHI, NOVEMBER 4—NOVEMBER 10, 2012, SATURDAY/KARTIKA 13—KARTIKA 19, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2012

का.नि.आ. 94.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (प्रशासनिक और भंडार पद) भर्ती नियम, 1993 और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (भंडार) पद भर्ती नियम, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में स्टोर्स पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भंडार संबंधी समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों के नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन और वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-I	24* (2012) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		शून्य
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	(10)			(11)	
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा			प्रोन्नति : वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. के वेतनमान में ऐसा वरिष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-2 जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो । टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे		

(11)

ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (I) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या

(II) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री,

(ii) तकनीकी भंडारों की खरीद तथा मंगाने और उनके रखरखाव व लेखा रखने में छह वर्षों का अनुभव रखता हो।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है और जहाँ वह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति  
( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए )

प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1. मुख्य नियंत्रक, रक्षा एवं अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय अथवा निदेशक मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
3. निदेशक या उप-सचिव (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक अथवा उप वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास, रक्षा मंत्रालय)

—अध्यक्ष

—सदस्य

—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-II	48* (2012) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)

(8)

(9)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(10)

(11)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है )

प्रोन्नति : वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतनमान में ऐसा भंडार अधिकारी जिसने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।



(11)

प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ) :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्थ सरकारी या तकनीकी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी या

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री,

(ii) जो पास तकनीकी भंडार की खरीद या मँगाने और उनके रखरखव या लेखे का चार वर्ष का अनुभव हो ।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे) ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए । जनवरी, 2006 (वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है), से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं ।

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति

(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):-

- |   |          |
|---|----------|
| 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य   | —अध्यक्ष |
| 2. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान, और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन                              | —सदस्य   |
| 3. निदेशक, कार्मिक निदेशालय अथवा निदेशक मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन | —सदस्य   |

(13)

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(12)

4. निदेशक या उपसचिव (अनुसंधान एवं विकास),  
रक्षा मंत्रालय या निदेशक उप वित्तीय सलाहकार,  
एकीकृत वित्त (अनुसंधान एवं विकास विकास),  
रक्षा मंत्रालय —सदस्य

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति  
(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान, और विकास रक्षा  
अनुसंधान विकास संगठन —अध्यक्ष
2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक मानव  
संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान  
और विकास संगठन —सदस्य
3. निदेशक या उपसचिव (अनुसंधान एवं विकास),  
रक्षा मंत्रालय या निदेशक या उप वित्तीय सलाहकार,  
एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास),  
रक्षा मंत्रालय —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. भंडार अधिकारी	180* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. +ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)
<p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>					

(7)	(8)	(9)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।		
(ii) सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय या किसी प्रतिष्ठित प्राइवेट समुत्थान में तीन वर्षों का तकनीकी भंडार के मैंगाने, खरीद और उसके रख-रखव या लेखे का अनुभव हो।		

(7)

**टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), कारणों को लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(10)

65% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) 10% प्रतिनियुक्ति के द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती के द्वारा एवं 25% सीधी भर्ती के द्वारा

(11)

**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में ऐसा ज्येष्ठ भंडार सहायक जिसने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो।

**टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ) :**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्थ सरकारी या तकनीकी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी या

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और

(ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी

(11)

प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है और जहाँ यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति  
(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

- |   |          |
|---|----------|
| 1. मुख्य नियंत्रक, (रक्षा अनुसंधान), रक्षा अनुसंधान विकास संगठन   | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन                             | —सदस्य   |
| 3. अवर सचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास रक्षा मंत्रालय या सहायक वित्त सलाहकार, एकीकृतवित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय | —सदस्य   |

(13)

प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित) किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. ज्येष्ठ भंडार सहायक	* 300 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)

लागू नहीं होता

(8)

लागू नहीं होता

(9)

दो वर्ष

(10)

चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 80% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 20% (एलडीसीई)

**टिप्पण :** परन्तु यदि संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में ज्येष्ठ भंडार सहायक की श्रेणी में एक वर्ष में भरी जानेवाली रिक्तियों की कुल संख्या 8 से कम है, तो उस वर्ष इस समूह के लिए कोई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

(11)

**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान में ऐसा भंडार सहायक 'ख' जिसने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है।

**टिप्पण 1 :** इस नियम की अधिसूचना की तारीख को भंडार सहायक 'ख' के पद को धारण करने वाले विद्यमान पदधारी की प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए पात्रता सेवा पाँच वर्ष होगी।

**टिप्पण 2 :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

**सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा :**

सीमित प्रतियोगी परीक्षा वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में ऐसे भंडार सहायक 'ख' तक सीमित हैं जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में न्यूनतम दस वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।

(12)

( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए ) विभागीय प्रोन्नति समिति

- I. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति —
- II. समूह में भाग लेने वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में से किसी एक प्रयोगशाला या स्थापना का निदेशक/प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं से ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II —सदस्य
3. ऐसा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I या वैज्ञानिक 'ग' जिसका संबंध संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह की किसी संघटक स्थापना/प्रयोगशाला से न हो —सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[ फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/भंडार कैडर/सी/पी/03 ]

संगीता राव, अवर सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE**

**(Department of Defence Research and Development)**

New Delhi, the 18th October, 2012

**S.R.O. 94.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores posts) Recruitment Rules, 1993 and Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence Group 'C' (Stores) posts Recruitment Rules, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Stores posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stores Group 'A and 'B' posts, Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in the column 1 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Name of the posts, Number, Classification and pay band and grade pay/pay scale.**—The name of the posts, number, their classification and the pay band and grade pay, scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualification.**—The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the schedule aforesaid.

**5. Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay/ pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Stores Officer Grade-I	24* (2012) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus grade pay of Rs. 6600	Selection	Not applicable
Educational and other qualification required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Nil

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made

(10)

(11)

By promotion failing which by deputation.

**Promotion :** Senior Store Officer Grade-II in the scale of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

**Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to first January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

**Deputation :**

Officers under the Central or State Government or Union Territory:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB- 3 in the parent cadre or department; and
- (b) possessing following educational qualification and experience;
  - (i) degree of a recognised university.
  - (ii) possessing six year's experience in purchase or indenting technical stores and their maintenance or accounting.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First

January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment				
(12)	(13)				
<b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):—</b>			Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.		
1. Chief Controller, Research and Development, Defence Research and Development Organisation	—Chairman				
2. Director, Directorate of personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation	—Member				
3. Director or Deputy Secretary (Research and Development) Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence	—Member				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Stores Officer Grade-II	48* (2012) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus grade pay of Rs. 5400	Selection	Not applicable
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Two years
(10)			(11)		
By promotion failing which by deputation (Including short term contract).			<p><b>Promotion :</b> Store Officer in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 in PB-2 with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.</p> <p><b>Note I :</b> Where juniors who have completed their qualifying or, eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January two thousand six or the</p>		



(11)

date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

**Deputation (Including Short Term Contract):**

Officers under the Central or State Government or Union Territory or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Autonomous Organizations or Technical Organisation. Or

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; Or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 in PB-2 or equivalent in the parent cadre or department. and

(b) possessing following educational qualification and experience:—

(i) degree of a recognised university.

(ii) possessing four year's experience in purchase or indenting technical stores and their maintenance or accounting.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee  
(for considering promotion) :—**

(13)

Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(12)

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission   | —Chairman |
| 2. Chief Controller, research and Development, Defence Research and Development Organisation   | —Member   |
| 3. Director Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation   | —Member   |
| 4. Director or Deputy Secretary (Research and Development) Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence | —Member   |

**Group 'A' Departmental promotion committee  
(for considering confirmation).**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Chief Controller, Research and Development, Defence Research and Development Organisation   | —Chairman |
| 2. Director Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation   | —Member   |
| 3. Director or Deputy Secretary (Research and Development) Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence | —Member   |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Stores Officer	180*(2012) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800 plus grade pay of Rs. 4600	Selection	Not exceeding Thirty years. (Relaxable for Government servant's upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government).  <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
<b>Essential:</b>	Not applicable	Two years
(i) Degree of a recognised university.		
(ii) Three years' experience in Government or Semi Government office or in a private concern of repute, in indenting purchases maintenance of technical Stores or accounts.		

(7)

**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities, possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10)

(11)

Sixty five percent by promotion failing which by deputation (Including short term contract), Ten percent by deputation (Including short-term contract) failing which by direct recruitment and twenty five percent by direct recruitment.

**Promotion :** Senior Stores Assistant in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 in PB-2 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

**Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or, eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January Two Thousand Six or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission.

**Deputation (Including Short Term Contract):**

Officers under the Central or State Government or Union Territory or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Autonomous Organizations or Technical Organisation.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; Or

(ii) with Five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 in pay band-2 with Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent Cadre or department.; and

(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(11)

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications].

**Note:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January Two Thousand Six or (the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee** (for considering promotion and confirmation consisting of) :—

1. Chief Controller, Research and Development, Defence Research and Development Organisation —Chairman
2. Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation —Member
3. Under Secretary (Defence Research and Development) Ministry of Defence or Assistant Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (ISTC).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Senior Store Assistant	300*(2012)*(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200	Selection	Not applicable
(7)	Not applicable		(8)	Not applicable	
(10)		(11)		(9)	
By promotion : Eighty per cent by promotion through selection and Twenty per cent by Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). <b>Note :</b> Provided that if the total number of vacancies to		Promotion : Store Assistant 'B' in the scale of Pay of Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2400 in PB-1 with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.		Two years	

(10)	(11)
<p>be filled in a year in the grade of Senior Stores Assistant in the respective Departmental Promotion II Group is less than eight, no Limited Departmental Competition Examination shall be held for the Group in that year.</p>	<p><b>Note 1:</b> The eligibility service for consideration for promotion for the existing incumbent holding the post of Store Asstt. 'B' on the date of notification of this rule shall be five years.</p> <p><b>Note 2 :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 3 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January, Two Thousand Six or date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Limited Departmental Competitive Examination:</b> Departmental Competitive Examination for promotion is limited to Store Assistant 'B' in the pay of Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2400 in PB-I who have completed minimum ten years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p>
(12)	(13)
<p><b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director or Head of one of Defence Research and Development Organisation Laboratories or Establishments participating in respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group —Chairman</li> <li>2. Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II from the participating Laboratories or Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee II Group. —Members</li> <li>3. Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory of the respective Departmental Promotion Committee-II Group. —Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. DHRD/16342/RRs/Stores Cadre/C/P/03]

SANGEETA RAO, Under Secy.

( वित्त प्रभाग )

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2012

का.नि.आ. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. का.नि.आ. सं. 22

अनुसूची के कॉलम नं. 2 में

के लिए

“3878\*(2009) \*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ”

पढ़ा जाए

“17751\*(2010) \*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ”

नोट : दर्शाए गए पदों में लेखापरीक्षक एवं वरिष्ठ लेखापरीक्षक की संयुक्त संख्या बल सम्मिलित है जिसमें अधिकतम 80% स्टाफ का परिचालन वरिष्ठ लेखापरीक्षक के ग्रेड में होगा ।

[फा. सं. एफ 9(1)/सी/2009]

वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार

(FINANCE DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th October, 2012

**S.R.O. 95.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the recruitment rules to the posts of Auditor in the Defence Accounts Department, 2009.

1. **Short title and commencement :** (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **SRO No. 22**

In column No. 2 of the schedule

For

“3878\*(2009) \* Subject to variation dependent on workload”

Read

“17751\*(2010) \* Subject to variation dependent on workload”

**Note :** Number of posts indicated include the combined strength of Auditor and Sr. Auditor with a maximum of 80% to be operated in Sr. Auditor grade.

[F. No. F. 9(1)/C/2009]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. & Addl. FA

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2012

का.नि.आ. 96.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (सुरक्षा) अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 1998, जहां तक इसका संबंध सुरक्षा सहायक ग्रेड 'क', सुरक्षा सहायक 'ख' तथा सुरक्षा सहायक 'ग' के पदों से है, का उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' (सुरक्षा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (सुरक्षा) पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—उक्त पदों का नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा उनसे जुड़े वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. पदों की भर्ती, आयु-सीमा, तथा अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उन पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हो, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुरक्षा सहायक 'ग'	40* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
<b>भर्ती की पद्धति :</b> भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता		
(10)	(11)	
प्रोन्नति द्वारा	<b>प्रोन्नति :</b> ऐसे सुरक्षा सहायक 'ख' जिन्होंने 5200-20200 रु. के वेतन बैंड-1+2400 रु. ग्रेड वेतन में उस पद पर पांच वर्ष की सेवा नियमित सेवा की हो। <b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, वहां उनसे वरिष्ठ ऐसे व्यक्तियों के संबंध में भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित सेवा, अर्हक सेवा के आधे या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा योग्यता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		
(12)	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
<b>विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए )</b>		
लागू नहीं होता		(13)
1. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाली रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाएं अथवा स्थापना का कोई एक निदेशक अथवा प्रमुख	—अध्यक्ष	
2. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं से ऐसे अधिकारी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II से कम का अधिकारी न हो अथवा उसके समतुल्य हो	—सदस्य	
3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I की पंक्ति से अन्यून का अधिकारी या वैज्ञानिक 'ग' या समतुल्य जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह की स्थापना/प्रयोगशाला के किसी गठन से संबंधित न हो।	—सदस्य	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुरक्षा सहायक 'ख'	55* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
	(10)		(11)		
	प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति : ऐसे सुरक्षा सहायक 'क' जिन्होंने वेतन बैंड-1 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. के पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।  टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, वहां उनसे ज्येष्ठ ऐसे व्यक्तियों के संबंध में भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित सेवा, अर्हक सेवा के आधे या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा योग्यता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
	(12)		(13)		
	विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए )		लागू नहीं होता		
1.	संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाली रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशाला या स्थापना का कोई एक निदेशक अथवा प्रमुख	—अध्यक्ष			
2.	संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाली प्रयोगशाला/स्थापना से ऐसे अधिकारी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II से कम का अधिकारी न हो अथवा उसके समतुल्य हो	—सदस्य			
3.	ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I की पंक्ति से अन्यून का कोई अधिकारी या वैज्ञानिक 'ग' या समतुल्य जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह की स्थापना/प्रयोगशाला के किसी गठन से संबंधित न हो।	—सदस्य			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुरक्षा सहायक 'क'	65* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पण : अभ्यर्थियों के मामले में आयु- सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख पदों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के विज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन प्ररूप की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।
(7)	(8)	(9)			
(i) बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सशस्त्र बलों द्वारा प्रदत्त समतुल्य प्रमाण-पत्र (ii) शारीरिक स्वस्थता और श्रमसाध्य कर्तव्य करने की क्षमता।	लागू नहीं होता	दो वर्ष। सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों को इस श्रेणी में अपनी पुष्टि से पहले उन्हें विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।			
(10)	(11)				
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता				
(12)	(13)				
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता				
1. संबद्ध स्थापन या प्रयोगशाला का प्रमुख	—अध्यक्ष				
2. संबद्ध स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी	—सदस्य				
3. अन्य प्रयोगशाला/स्थापन या मुख्यालय समतुल्य से कोई अधिकारी या संबंध प्रयोगशाला/स्थापना के सदस्यों की पंक्ति से ऊपर का अधिकारी	—सदस्य				

[फा. सं. डीएचआरडी/87661/आरआर/सुरक्षा संवर्ग/सी/पी/01]

संगीता राव, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 15(अ), तारीख 29 मई, 1988 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 31st October, 2012

**S.R.O. 96.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Security) posts Recruitment Rules, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment relating to the post of Security Assistant 'C', Security Assistant 'B' and Security Assistant 'A' in the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development Organisation, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Security) posts Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Name of post, number, classification, pay band and grade pay/pay scale.**—The name of post, number, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Security Assistant 'C'	40* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 2800	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Not applicable
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(10)			(11)		
By promotion			Promotion : Security Assistant 'B' with five years regular service rendered in the post in Pay Band-I, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400.		

(11)

**Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists; what is its composition ?

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—**

Not applicable.

1. Director or Head of one of Defence Research and Development Organisation Laboratories or Establishments participating in respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group —Chairman
2. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or equivalent from the participating Laboratories/Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group —Member
3. An officer of the rank not below Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/ Laboratory of the respective Departmental Promotion Committee-II Group —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Security	55* (2012) variation dependent on work load.	General Central Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, 20200 plus grade pay of Rs. 2400	Not applicable	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		
	By promotion		<b>Promotion :—</b> Security Assistant 'A' with eight years regular service rendered in the post in Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900.		

(11)

**Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)

(13)

**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—**

Not applicable.

1. Director or Head of one of Defence Research and Development Organisation Laboratories or Establishments participating in respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group —Chairman
2. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or equivalent from the participating Laboratories/Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group —Member
3. An officer of the rank not below Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the respective Departmental Promotion Committee-II Group —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Security Assistant 'A'	65* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable	Between 18 and 27 years. The crucial date for determination of the age limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application form as specified in the advertisement of Defence Research and Development Organisation for the posts.

(7)

(8)

(9)

- (i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University or equivalent certificate awarded by Armed Forces in the case of Ex-Servicemen.
- (ii) Physical fitness and capability to undertake strenuous duties.

Not applicable

Two years. The direct recruits will have to successfully complete the prescribed training course before their confirmation in the grade.

(10)	(11)
By Direct Recruitment.	Not applicable
(12)	(13)
<b>Departmental Promotion Committee</b> (for considering promotion) :—	Not applicable.
1. Head of the concerned Establishment or Laboratory	—Chairman
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	—Member
3. An officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the member of the concerned Laboratory/Establishment	—Member

[F. No. DHRD/87661/RRs/Security Cadre/C/P/01]

SANGEETA RAO, Under Secy.

**Note:** The principal rules was published vide numer S.R.O. 15(E) dated the 29th May 1998.

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2012

**का.नि.आ. 97.**—राष्ट्रपति, के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (प्रशासन और भंडार पद) भर्ती नियम, 1993, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासन) पद भर्ती नियम, 1998, को जहाँ तक उसका संबंध प्रशासनिक अधीक्षक, प्रशासनिक सहायक 'सी', प्रशासनिक सहायक 'बी', और प्रशासनिक सहायक 'ए' के पदों से है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, प्रशासनिक अधिकारी पद भर्ती नियम, 1999 का उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में प्रशासनिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, प्रशासनिक समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की, संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हता.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I	39* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	40 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

(7)	(8)	(9)
<p><b>आवश्यक :—</b>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। (ii) किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन में छ वर्ष का प्रशासनिक अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p> <p><b>वांछनीय (i)</b> किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कार्मिक प्रबंध में डिप्लोमा (ii) वैज्ञानिक या औद्योगिक या तकनीकी संगठन या विभागों में कार्य करने का अनुभव</p>	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

33.34 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा और 33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)

**प्रोन्नति** : वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 5400 रु. के वेतनमान में ऐसा प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो ।

**टिप्पण 1.**-जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

**टिप्पण 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

**प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी;

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. के या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित-शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे) । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

**टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है), नियमित



(11)

आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड वेतन है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए)

सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. मुख्य नियंत्रक (अनुसंधान और विकास) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —अध्यक्ष
2. निदेशक या उपसचिव (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय या निदेशक या उप वित्त सलाहकार, या एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय —सदस्य
3. निदेशक कार्मिक निदेशालय, या निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II	97* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	35 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)

(8)

(9)

आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री;  
(ii) प्रशासन, स्थापन और लेखा कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

लागू नहीं होता

एक वर्ष

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

(7)

**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

**वांछनीय :**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कार्मिक प्रबंध या औद्योगिक संबंधी कार्य का डिप्लोमा;
- (ii) वैज्ञानिक या औद्योगिक या तकनीकी संगठन/विभागों में कार्य करने का अनुभव।

(10)

65 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा, 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतनमान में ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो।

**टिप्पण 1:-** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति :** ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या अर्धसरकारी या स्वशासी संगठन या तकनीकी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :

(11)

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन -4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित-शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)। प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (जिसके छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति  
( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए )

- |   |          |
|---|----------|
| 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य  | —अध्यक्ष |
| 2. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन   | —सदस्य   |
| 3. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  | —सदस्य   |
| 4. निदेशक, या उपसचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास) रक्षा मंत्रालय या निदेशक या उप वित्त सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय | —सदस्य   |

(13)

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(12)

**II समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास  | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  | —सदस्य   |
| 3. निदेशक या उपसचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास) या एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय | —सदस्य   |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. प्रशासनिक अधिकारी	297* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
(10)			(11)		

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।

**टिप्पण 1 :** इस नियम की अधिसूचना की तारीख को ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक के पद धारण करने वाले विद्यमान पदधारी की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष होगी।

**टिप्पण 2 :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(11)

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री

(ii) जिनके पास कार्मिक प्रबंध या साधारण प्रशासन में तीन वर्ष का अनुभव है।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है,

वेतन आयोग की सिफारिशों पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

1. मुख्य नियंत्रक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —अध्यक्ष
2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय, या निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य
3. अवर सचिव, (रक्षा अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय या सहायक वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय —सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक	584* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		दो वर्ष
(10)				(11)	

80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा : 20 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा

**टिप्पण** : परन्तु यदि संबंधित विभागीय प्रोन्नति-2 समूह में ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक की श्रेणी में एक वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या आठ से कम है, तो उस वर्ष इस समूह के लिए कोई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी

**प्रोन्नति** : वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान में ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक 'ख' जिस ने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।

**टिप्पण 1** : इस नियम की अधिसूचना की तारीख को प्रशासनिक सहायक 'ख' के पद धारण करने वाले विद्यमान पदधारी की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए पात्रता सेवा पांच वर्ष होगी।

**टिप्पण 2** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 3** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले उस तारीख से वह जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा : सीमित प्रतियोगी परीक्षा वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + या ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान में ऐसे प्रशासनिक सहायक ख तक सीमित है जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में न्यूनतम 10 वर्ष नियमित सेवा पूरी कर ली है।

(12)

(13)

प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ख'  
विभागीय प्रोन्नति समिति

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

- |   |          |
|---|----------|
| 1. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह में भाग लेने वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में से एक निदेशक/प्रधान               | —अध्यक्ष |
| 2. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह में भाग लेने वाले प्रयोगशालाओं/स्थापनों से ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-2 | —सदस्य   |
| 3. ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-1 या वैज्ञानिक ग जिसका संबंध संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह की किसी संघटक स्थापना/प्रयोगशाला से न हो                    | —सदस्य   |

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/प्रशासन काडर/सी/पी/02]

संगीता राव, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd October, 2012

**S.R.O. 97.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores posts) Recruitment Rules, 1993, Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence Group, 'C' (Administration) posts Recruitment Rules, 1998 in so far they relates to the post of Administrative Superintendent, Administrative Assistant 'C', Administrative Assistant 'B' and Administrative Assistant 'A', Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence, Administrative Officer post Recruitment Rules, 1999 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Administrative posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Name of the posts, Number, Classification and pay band and grade pay/pay scale.**—The name of the posts, number, their classification and the pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.

**4. Method of recruitment, age limit, and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the schedule aforesaid.

**5. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

**6. Power to relax.**—Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay/ pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Administrative Officer Grade-I	39* (2012) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus grade pay of Rs. 6600	Selection	Not exceeding forty years (Relaxation for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limits shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)			(8)	(9)	
<b>Essential :</b>			Not applicable	One year for direct recruits	
(i) degree of recognised university.					
(ii) six years administration experience in a Government or Semi-Government Organisation or Commercial Organisation of repute.					
<b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.					
<b>Note 2 :</b> The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.					
<b>Desirable :</b>					
(i) Diploma in personnel management from a recognised institution.					
(ii) Working experience in Scientific or Industrial or Technical organisation or Departments.					



**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

(10)

Thirty three point three four per cent by promotion failing which by deputation and Thirty three point three three per cent by deputation and Thirty three point three three per cent by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

**Promotion :** Senior Administrative Officer Grade-II in the scale of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

**Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

**Deputation :**

Officers under the Central or State Governments or Union Territory:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or

(ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 in the parent cadre or department; and

(b) possessing following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7;

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note 1 :** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has

(11)

been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) :—**

1. Chief Controller (Research and Development), Defence Research and Development Organisation —Chairman
2. Director or Deputy Secretary (Research and Development), Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Adviser, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence —Member
3. Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation. —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an Officer on deputation

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Administrative Officer Grade-II	97* (2012) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus grade pay of Rs. 5400	Selection	Not exceeding Thirty five years (Relaxation for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limits shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi subdivision of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(7)

(8)

(9)

**Essential:**

- (i) Degree of recognised university.
- (ii) Three years experience of administration, establishment and accounts work.

Not applicable

One year

(12)

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

**Desirable :**

(i) Diploma in personnel management or Industrial relation from a recognised institution.

(ii) Working experience in Scientific or Industrial or Technical organisation or Departments.

(10)

Sixty five per cent by promotion failing which by deputation (including short-term contract), Twenty five per cent by deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment and Ten per cent by direct recruitment.

(11)

**Promotion :** Administrative Officer in the scale of Pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 in PB-2 with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent Cadre or Department.

**Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

**Deputation (Including Short Term Contract) :**

Officers under the Central or State Government or Union Territory or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Autonomous Organizations or Technical Organisation.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; Or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay of scale of

(11)

Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in PB-2 or equivalent in the parent cadre or department ; and

(b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under column 7.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The (including short-term contract) maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications].

**Note 1 :** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or (the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotions) :—**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission.   | —Chairman |
| 2. Chief Controller, Research and Development, Defence Research and Development Organisation  | —Member   |
| 3. Director Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Research Development, Defence Research and Development Organisation  | —Member   |
| 4. Director or Deputy Secretary (Research and Development), Ministry of Defence, or Director or Deputy Finance Adviser, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence. | —Member   |

**II. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation),**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Chief Controller, Research and Development.   | —Chairman |
| 2. Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation              | —Member   |
| 3. Deputy Secretary or Director from Department of Defence Research and Development or Integrated Finance (Research and Development Ministry of Defence. | —Member   |

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Administrative Officer	297* (2012) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		

By Promotion failing which by deputation,

**Promotion :** Senior Administrative Assistant in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 in PB-2 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

**Note 1:** The eligibility service for consideration for promotion for the existing incumbent holding the post of Administrative Superintendent on the date of notification of this rule shall be three years.

**Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

**Deputation:** Officers under the Central Government:—

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 in PB-2 or equivalent in the parent Cadre or department; and

(b) possessing following educational qualification and experience :—

(i) degree of a recognised University.

(ii) possessing three years' experience in Personnel Management or General Administration.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration

(11)

for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note :** For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or (the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

**Group 'B' Gazetted Departmental Promotion Committee  
(for considering promotion).**

1. Chief Controller, Defence Research and Development Organisation —Chairman
2. Director, Directorate of personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation —Member
3. Under Secretary, (Defence research and Development), Ministry of Defence or Assistant Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence —Member

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Senior Administrative Assistant	584* (2012) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200	Selection	Not applicable
(7)		(8)		(9)	
Not applicable		Not applicable		Two years	

(10)

- (i) Eighty percent by promotion.  
(ii) Twenty percent by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.  
**Note :** Provided that if the total number of vacancies to be filled in a year in the grade of Senior Administrative Assistant in the respective Departmental Promotion II Group is less than eight, no Limited Departmental competition examination shall be held for the Group in that year.

(11)

**Promotion :** Administrative Assistant 'B' in the scale of Pay of Rs. 5200—20200 plus Grade pay of Rs. 2400 in PB-1 with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

**Note 1 :** The eligibility service for consideration for promotion for the existing incumbent holding the post of Administrative Assistant 'B' on the date of notification of this rule shall be five years.

**Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January, two thousand six or date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission.

**Limited Departmental Competitive Examination :** Departmental Competitive Examination for promotion is limited to Administrative Assistant 'B' in the pay of Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2400 in PB-1 who have completed minimum ten years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

(12)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee  
(for considering promotion) :—**


1. Director/Head of one of Defence Research and Development Organisation Laboratories/ Establishments participating in respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group —Chairman
2. Senior Administrative Officer Grade II/Senior Store Officer Grade II from the participating Laboratories/Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group. —Member
3. Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the respective Departmental Promotion Committee-II Group. —Member

(13)

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. DHRD/16342/RRs/Admin Cadres/C/P/02]

SANGEETA RAO, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 22]  
No. 22]

नई दिल्ली, नवम्बर 6—नवम्बर 12, 2011, शनिवार/कार्तिक 15—कार्तिक 21, 1933  
NEW DELHI, NOVEMBER 6—NOVEMBER 12, 2011, SATURDAY/KARTIKA 15—KARTIKA 21, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2011

का.नि.आ. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती नियम, 1998 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, में समूह 'ग' (अग्नि शमन सेवा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती नियम, 2011 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरम्भिक गठन.—रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन में निम्नलिखित पदधारियों को इन नियमों के आरम्भ पर निम्नलिखित रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| (i) (क) फायर मास्टर .....          | } स्टेशन अधिकारी |
| (ख) अग्नि शमन पर्यवेक्षक .....     |                  |
| (ii) (क) ज्येष्ठ फायरमैन 'ख' ..... | लीडिंग फायरमैन   |
| (ख) ज्येष्ठ फायरमैन 'क' .....      |                  |
| (iii) फायरमैन .....                | फायरमैन          |

(493)



3. पदों का नाम, वर्गीकरण और वेतन बैंड, वेतनमान और ग्रेड वेतन.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और वेतनमान और ग्रेड वेतन वह होंगे जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—(i) उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(ii) प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं और स्थापनाओं को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूहों में समूहित किया गया है। प्रत्येक ऐसे समूह को पृथक और स्वतंत्र यूनिट समझा जाएगा और फायरमैन और लीडिंग फायरमैन के पदों के साथ इन नियमों में सम्मिलित अगले उच्चतर पद पर पात्र कर्मचारियों की प्रोन्नति की जाएगी। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पश्चात्, समूह 'घ' के पदों को समाप्त कर दिया गया है अतः विभागीय प्रोन्नति समिति-III का गठन नहीं किया जाएगा।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपबंध करना, अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टेशन अधिकारी	60* (2011)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु.	चयन	लागू नहीं होता
		आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपत्रित, गैर औद्योगिक 2800 रु.		
		अननुसचिवीय			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा, फायर इंजन चालक 'ग' के पद से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा (एलडीसीई) जिनके न हो सकने पर फायर इंजन चालक 'ग' के पद पर जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति :

(1) काडर/विभाग में, वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. में, ऐसा लीडिंग फायरमैन, जिसने दस वर्ष नियमित सेवा (तत्कालीन फायरमैन 'क' और फायरमैन 'ख' के रूप में दस वर्ष की सम्मिलित सेवा), की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :—

(i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र (10+2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ।

(ii) अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित ज्येष्ठ अग्नि शमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप अधिकारी पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्तव्य का पालन करने का सामर्थ्य हो ।

(2) निम्नलिखित पैरामीटरों में विभागीय प्रोन्नति समिति-II द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण अर्हित करने के अध्यक्षीन रहते हुए, काडर/विभाग में, वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2000 रु. में ऐसा लीडिंग फायरमैन, जिसने पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है :—

(क) शारीरिक प्रशिक्षण, स्ववायर ड्रिल, अग्नि शमन ड्रिल अग्नि शमन/ड्रिलर पम्प के प्रचालन को संचालित करने के लिए योग्य होना चाहिए ।

(ख) अपने स्टेशन में लगे हुए अग्नि शमन उपकरणों के उपयोग का प्रदर्शन करने में योग्य होना चाहिए ।

स्थानान्तरण :- सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, ऐसे अभ्यर्थियों में से, जो वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु. में अग्निशमन इंजन चालक 'ग' का पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :—

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र (10+2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण)।

(ii) अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित ज्येष्ठ अग्नि शमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप अधिकारी पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो ।

प्रोन्नति: सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, ऐसे अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए और ग्रेड वेतन 2400 रुपए में अग्नि शमन इंजन चालक 'ख' के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :—

(i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (10+2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) ।

(ii) अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित ज्येष्ठ अग्नि शमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप अधिकारी कम या राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हों । शारीरिक योग्यता और

(11)

श्रमसाध्य कर्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो।

टिप्पण 1 : अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की अपनी-अपनी विभागीय प्रोन्नति समिति-II में तत्कालीन ज्येष्ठ फायरमैन 'क' और फायरमैन 'ख' पदों पर की गई नियमित सेवा गणना में ली जाएगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उन ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति-II

लागू नहीं होता।

- संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह को संचालित करने के लिए नामनिर्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला/स्थापन का निदेशक/प्रधान —अध्यक्ष
- संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/स्थापन का ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो —सदस्य
- एक ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या वैज्ञानिक 'ग' या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो और वह उस विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/स्थापन का न हो —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लीडिंग फायरमैन	140* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित गैर औद्योगिक अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु.	चयन	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

(10)

75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

(i) चयन के आधार पर, वेतन बैंड-1,5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में अपनी-अपनी प्रयोगशाला या स्थापन का ऐसा फायरमैन, जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।

(ii) निम्नलिखित काडरों में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से :—

(क) काडर/विभाग में, वेतन बैंड-1,5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 1900 रु. में, ऐसा अग्नि शमन इंजन चालक 'क', जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की है । उन्हें अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित अग्निशमन से संबंधित साधारण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप अधिकारी पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो । शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो ।

(ख) जिन्होंने वेतन बैंड-1,5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में, काडर/विभाग और अपनी-अपनी प्रयोगशाला या स्थापन की परिचर प्रयोगशाला सेवाओं में कार्यालय परिचर, प्रसाधन परिचर, उद्यान परिचर, सुरक्षा परिचर के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (10+2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) हो। उन्हें अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित अग्निशमन से संबंधित साधारण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप-अधिकारी पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो । शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो ।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।

(12)

विभागीय प्रोन्नति समिति-II (पुष्टि के लिए) :—

1. संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह को संचालित करने के लिए नामनिर्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला/स्थापन का निदेशक/प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/स्थापन का ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो —सदस्य
3. एक ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या वैज्ञानिक 'ग' या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो और वह उस विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/स्थापन का न हो —सदस्य

(13)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फायरमैन,	262* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर औद्योगिक, अननुसचिबीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच। टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा ज किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुस साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथि करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचि जातियों या अनुसूचित जनजातियों, व अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल कर पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण 2 : अभ्यर्थियों की दशा में, आय -सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, पदों के विज्ञापन में यथा विनिदि आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख होगी
	(7)			(8)	(9)
	(1) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (10+2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण)। (2) शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो।			लागू नहीं होता	दो वर्ष टिप्पण: उन्हें अपनी पुष्टीकरण र पहले अग्नि, विस्फोटक और पर्यावर सुरक्षा केन्द्र (सीफोज) द्वारा संचालि अग्निशामन साधारण पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा करना होगा
	(10)			(11)	
	सीधी भर्ती द्वारा			लागू नहीं होता	
	(12)				(13)
	विभागीय प्रोन्नति समिति-II (पुष्टि के लिए) :—				लागू नहीं होता।
	1. संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह को संचालित करने के लिए नामनिर्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला/स्थापन का निदेशक/प्रधान			—अध्यक्ष	
	2. संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/स्थापन का ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो			—सदस्य	
	3. एक ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-1 या वैज्ञानिक 'ग' या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो और वह उस विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/ स्थापन का न हो			—सदस्य	

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/अ.श./सी/पी/0]

एस. के. देव, अवर सचि

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 4 में सं. का.नि.आ. 383 तारीख 16 नवम्बर, 1974 द्वारा प्रकाशित किए गए  
इसका संशोधन सं. का.नि.आ. 236 तारीख 12 जुलाई, 1975, सं. का.नि.आ. 19 तारीख 31 जनवरी, 1976, सं. का.नि.आ. 1  
तारीख 20 जुलाई, 1976। इसका अधिक्रमण करते हुए सं. का.नि.आ. 82 तारीख 23 फरवरी, 1980। इसका संशोधन क  
हुए सं. का.नि.आ. 200 तारीख 20 जुलाई, 1981, सं. का.नि.आ. 102 तारीख 16 अप्रैल, 1982, सं. का.नि.आ. 361 तारि  
1 दिसम्बर, 1989 (सहायक अग्नि अधिकारी द्वारा किया गया)। इसका संशोधन सं. का.नि.आ. 290 तारीख 28 अक्टू  
1992 द्वारा किया गया। इसका अधिक्रमण सं. का.नि.आ. 14(अ), तारीख 29 मई, 1998 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF DEFENCE**

**(Department of Defence Research and Development)**

New Delhi, the 28th October, 2011

**S.R.O. 68.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' and Group 'D' (Fire Services) Posts Recruitment Rules, 1998 as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the Group 'C' (Fire Service) posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence namely :—

**1. Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 2011.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Initial Constitution** .—The incumbents of the following posts in the Defence Research and Development Organisation at the commencement of these rules shall be re-designated as indicated below :—

(i)	(a)	Fire Master .....	Station Officer
	(b)	Fire Supervisor .....	
(ii)	(a)	Senior Fireman 'B' .....	Leading Fireman
	(b)	Senior Fireman 'A' .....	
(iii)		Fireman .....	Fireman

**3. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay, Pay Scale.**—The number of said post, its classification and Pay Band and Grade Pay, Scale of Pay attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualifications**—(i) The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post } shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

(ii) For the purpose of promotion, the Laboratories and Establishments of Defence Research and Development Organisation have been grouped into various Departmental Promotion Committee II Groups, as per the orders issued by the Government from time to time. Each such Group shall be considered as a separate and independent unit and promotion of eligible employees to the next higher post included in these rules along with the posts of Fireman and Leading Fireman. After the implementation of 6th CPC recommendations Group 'D' posts have been abolished and hence there shall not be Departmental Promotion Committee-III constituted.

**5. Disqualifications.** - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax** .-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

**7. Saving**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidate belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay /Pay scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Section Officer	80* (2011) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200+ Grade pay Rs. 2800	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Not applicable
Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made		
(10)			(11)		
75 percent by Promotion, 25 percent by transfer from the post of Fire Engine Driver 'C' through Limited Department Limited Competitive Examinations (LDCE) failing which by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) from the post of Fire Engine Driver 'B' with five years regular service.			<b>Promotion :</b> ✓ (1) Leading Fireman with ten years regular service (combine service of ten years as erstwhile Fireman 'A' and Fireman 'B' rendered in Pay Band-1 (Rs 5200-20200)+ Grade Pay of Rs. 2000 in the Cadre/Department and possessing the following qualifications:— (i) Secondary School Certificate (10th Standard pass under the 10+2 system) from recognised school by Central or State Government or through Limited Departmental Competitive Examination. (ii) Pass in the Senior Fire Supervisor course conducted by Centre for fire, Explosives and Environment safety or Senior Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College, Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties. (2) Leading Fireman with fifteen years of regular service rendered in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)+Grade Pay of Rs. 2000 in the Cadre/Department subject to qualify the Trade Test conducted by DPC-II in the following parameters:— (a) Should be able to conduct physical training, square drill fire fighting drills, fire fighting/driller pumps operation.		

*Selection Officer*

*1.1.06*

(11)

(b) Should be able to demonstrate on the use of fire fighting equipment held in their station.

**Transfer** :— Through Limited Departmental Competitive Examination from candidates holding posts of Fire Engine Driver 'C' in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2800 and possessing the following qualifications :

(i) Secondary School Certificate (10th Standard pass under the 10+2 system) from recognized school by Central or State Government.

(ii) Pass in the Senior Fire Supervisor course conducted by Centre for Fire, Explosives and Environment Safety or Sub-Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College, Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties.

**Promotion** :— Through Limited Departmental Competitive Examination from candidates with five years regular service in the Post of Fire Engine Driver 'B' in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400 and possessing the following qualifications :

(i) Secondary School Certificate (10th Standard pass under the 10+2 system) from recognized school by Central or State Government.

(ii) Pass in the Senior Fire Supervisor course conducted by Centre for Fire, Explosive and Environment Safty or Sub-Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College, Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties.

**Note 1** : For the purpose of counting of qualifying service, the regular service rendered in the erstwhile Senior Fireman 'A' and Senior Fireman 'B' posts in the respective Departmental Promotion Committee II Group of Defence Research and Development Organisation shall also be taken into account.

**Note 2** : Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less have successfully completed their probation period for promotion the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Departmental Promotion Committee-II

Not applicable

1. Director/Head of the Defence Research and Development Organisation Laboratory/Establishment nominated for conducting the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group.

—Chairman



(12)

2. An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-II or equivalent from the participating Laboratories/Establishment in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group —Member
3. An Officer of the rank now below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the Departmental Promotion Committee-II Group —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Leading Fireman	116* (2011) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200–20200+ Grade Pay of Rs. 2000	Selection	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)			(11)	

- (i) By Promotion 75 per cent  
(ii) By promotions on the basis of Limited Departmental Competitive Examination 25 per cent

**Promotion :—**

- (i) On the basis of Selection Fireman with three years regular service rendered in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)+Grade Pay of Rs. 1900 in the respective Laboratory or Establishment.
- (ii) Through Limited Departmental Competitive Examination from the following cadres :—
- (a) Fire Engine Driver 'A' with three years regular service rendered in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)+Grade Pay of Rs. 1900 in the Cadre/Department. They will have to complete the General Course in Fire Fighting conducted by Centre for Fire Explosives and Environment Safety successfully or Sub-Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College, Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties.
- (b) With six years regular service rendered in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)+ Grade Pay of Rs. 1800 in the post Office Attendant, Cosmetic Attendant, Garden Attendant, Security Attendant in the Cadre/Department and Attendant Lab. Services in the respective Laboratory or Establishment and possessing Secondary School Certificate (10th standard pass under the 10+2 system) recognized by Central or State Government. They will have to complete the General Course in Fire Fighting conducted by Centre For Fire Explosives and Environment Safety successfully or Sub-Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College,

(11)

Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties.

**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, have successfully completed their probation period for promotion the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service.

(12)

(13)

**Departmental Promotion Committee-II**

Not applicable

1. Director/Head of the Defence Research and Development Organisation Laboratory/Establishment nominated for conducting the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group —Chairman
2. An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-II or equivalent from the participating Laboratories/Establishment in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group —Member
3. An Officer of the rank now below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the Departmental Promotion Committee-II Group —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fireman	116* (2011) * (Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200-20200+ Grade Pay of Rs. 1900.	Not applicable	Between 18 and 27 years. <b>Note 1.</b> (Relaxable for Government servants up to forty years in the case of general candidates and up to forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note 2 :—</b> The crucial date for determination of the age limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application form as specified in the advertisement of the posts.

(7)	(8)	(9)
(1) Secondary School Certificate (10th Standard pass under 10+2 system) recognised by Central/ State Government. (2) Physical fitness and capability to perform strenuous duties.	Not applicable.	Two years Note :-They will have to complete the General Course in Fire Fighting conducted by Centre for Fire, Explosives and Environment Safety successfully before their confirmation.
(10)		(11)
Direct Recruitment		Not applicable
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee-II (for confirmation)		Not applicable.
1. Director/Head of the Defence Research and Development Organisation Laboratory/ Establishment nominated for conducting the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group	—Chairman	
2. An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-II or equivalent from the participating Laboratories/Establishment in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group	—Member	
3. An Officer of the rank now below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the Departmental Promotion Committee-II Group	—Member	

[F. No. DHRD/76257/RRs/F.F./C/P/01]

S.K. DEB, Under Secy.

**Foot Note** :—The Principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 4 *vide* No. S.R.O. 383, dated the 16th November 1974. The same was amended *vide* No. S.R.O. 236, dated the 12th Jul. 1975, No. S.R.O. 19, dated the 31st January, 1976, No. S.R.O. 191, dated the 20th July, 1976, Superseded *vide*, No. S.R.O. 82, dated the 23rd, February, 1980. The same was amended *vide* No. S.R.O. 200, dated the 20th July, 1981, No. S.R.O. 102, dated the 16th April, 1982. S.R.O. 361, dated the 1st December, 1989 (Assistant Fire Officer). The same was amended *vide* No. S.R.O. 290, dated the 28th October, 1992 and superseded *vide* No. S.R.O. 14(E), dated the 29th May, 1998.

## (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2011

का.नि.आ. 59.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासन) पद के भर्ती नियम, 1998 को, जहां तक इसका संबंध प्रशासन सहायक 'ख' के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में प्रशासनिक सहायक 'ख' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम, 2011 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समग्र-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक सहायक 'ख'	702* (2011)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं				सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)				(8)	(9)
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

2885 GI/11-3

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

(i) चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा - 75%  
(ii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ग्रेड वेतन 1900 रुपए में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारिवृन्द से जिन्होंने बारहवीं कक्षा या समतुल्य अर्हता उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा -25%; परन्तु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति समूह-II में किसी वर्ष में प्रशासनिक सहायक 'ख' की श्रेणी में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या 8 से अधिक हो। संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति समूह II श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले प्रशासनिक सहायक 'क' से प्रोन्नति।

प्रोन्नति : प्रशासनिक सहायक 'क' जिन्होंने 8 वर्ष की नियमित सेवा इस ग्रेड में संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में की हो।  
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, वहाँ उनसे ज्येष्ठ ऐसे कर्मचारियों के संबंध में भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अगले उच्च पद पर प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :-

लागू नहीं होता।

1. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य स्थापन/प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला/स्थापन के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो —सदस्य

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/प्रशासनिक सहायक 'ख'/सी/पी/04]

एस. के. देव, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 27th July, 2011

S.R.O. 59.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) posts Recruitment Rules, 1998, in so far as it relates to the post of Administrative Assistant 'B', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Assistant 'B' in the Ministry of Defence, in the Department of Defence Research and Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached there to shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Assistant 'B'	702* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualification required for direct recruits			Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Not applicable
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(10)			(11)		
(i) By promotion on the basis of Selection - 75%			Promotion :		
(ii) By promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1900 and who possess 12th Class pass			Administrative Assistant 'A' with eight years' regular service rendered in the grade in the respective Departmental Promotion Committee-II Group.		

(10)

or equivalent qualifications and have rendered 5 years' regular service in the grade, failing which by promotion on the basis of selection - 25%;

Provided that if the total number of vacancies to be filled in a year in the grade of Administrative Assistant 'B' in the respective DPC-II Group is less than 8, no LDCE shall be held for the group in that year. Promotion from Administrative Assistant 'A' with eight years regular service rendered in the grade in the respective DP/C-II Group.

(11)

Note : Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Departmental Promotion Committee for considering promotion :

Not applicable.

1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Members
3. An Officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/ Establishment —Member



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 171 नई दिल्ली, अगस्त 29—सितम्बर 4, 2010, शनिवार/भाद्र 7—भाद्र 13, 1932  
No. 171 NEW DELHI, AUGUST 29—SEPTEMBER 4, 2010, SATURDAY/BHADRA 7—BHADRA 13, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2010

का.नि.आं. 38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र बल चिकित्सा स्टोर डिपो (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 1978 को जहां तक उनका संबंध तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (विकिरण चिकित्सा विज्ञान) और सहायक तकनीकी (विकिरण चिकित्सा विज्ञान) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अधीन, तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) और सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल चिकित्सा स्टोर डिपो, तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) और सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—वह व्यक्ति,—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

3298 GI/2010

(187)



(8)

Note 2 : The Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(11)	(12)
Direct recruitment	Not applicable.
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering Confirmation :—	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.
1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) —Chairman	
2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services —Member	
3. Director or Deputy Secretary (Civilian Personnel), Ministry of Defence—Member	

[F. No. 11375/RR/ATEO &amp; TEO/DGAFMS/DG-2B/284/RR/D (Appts)]

S. S. S. SARMA, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

का.नि.आ. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' अराज्यपत्रित (अनुसचिवीय) पद भर्ती नियम 1998 का, जहां तक इसका संबंध प्रशासन सहायक 'क' के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, में प्रशासनिक सहायक 'क' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं,—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त उक्त अनुसूची के स्तंभ (6) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	----------------------------------	------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रशासनिक सहायक 'क'	759* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अरापत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन-रुपये 1900	अचयन	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अभ्यर्थियों के मामले में, आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, पदों के विज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन प्रारूप की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	आयु-- नहीं	दो वर्ष
(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य	शैक्षिक योग्यता-- नहीं	
(2) अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द और हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की गति से टंकण मशीन पर टंकण की गति, या अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्द और हिन्दी में प्रति मिनट 30 शब्द की गति से कम्प्यूटर पर टंकण की गति के लिए (10500 कोडी पी एच/9000 कोडीपीएच) प्रति मिनट 35 शब्द और प्रति मिनट 30 शब्द के अनुरूप प्रत्येक शब्द में के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाएगा

(11)

सीधी भर्ती द्वारा 85% और प्रोन्नति द्वारा 15%

(1) 10%, प्रोन्नत द्वारा ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी वृन्द से जो 1800 रु. ग्रेड वेतन में हो और जिन्होंने 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण किया हो और श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) 5%, प्रोन्नत द्वारा ज्येष्ठता सहउपयुक्तता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रुपये के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

(12)

प्रोन्नति : ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी वृन्द से विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 10% जिन्होंने 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण की हो एवं श्रेणी वेतन 1800 रुपये के पद में 3 वर्ष ग्रेड में नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1. परीक्षा की पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आयु-सीमा 50 वर्ष)

टिप्पण 2. यदि उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से कम ऐसे कर्मचारी जो परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं अधिक हैं तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या को पश्चातवर्ती वर्षों में उद्भूत रिक्तियों के भरने में विचार होगा जिसमें पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हित कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जाएगा जो बाद में परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।

(2) समूह 'ग' कर्मचारियों में से ज्येष्ठता सहउपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नत द्वारा पांच प्रतिशत, जिन्होंने 1800 रुपये ग्रेड वेतन के पदों में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण और प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(14)

लागू नहीं होता।

1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य स्थापना/प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला/स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो —सदस्य

[मिसिल संख्या डीएचआरडी/76257/आरआर/प्रशासन/सी/पी/03/2188/डी (आर एंड डी)]

एस के देव, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd August, 2010

S.R.O. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) posts Recruitment Rules, 1998, in so far as it relates to the post of Administrative Assistant 'A', except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Administrative Assistant 'A' in the Ministry of Defence, in the Department of Defence Research and Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment Rules, 2010

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3298 GI/10-3

2. **Number of Posts, Classification and Pay Band and Grade Pay or Pay scale.**—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
 shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Administrative Assistant 'A'	759* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200–20200+ Grade Pay of Rs. 1900	Non-selection	Not applicable	Between 18 and 27 years. Note 1. (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note 2. The crucial date for determination of the age limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application form as specified in the advertisement of the posts.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) 12th Class pass or equivalent from a recognized Board or University :</p> <p>(ii) Typing at the speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on manual typewriter, or</p> <p>Typing at the speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).</p>	<p>Age—No</p> <p>Educational Qualification—Yes</p>	<p>Two years</p>
<p>Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods</p>	<p>In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made</p>	
(11)	(12)	
<p>Eighty five percent by direct recruitment and Fifteen percent by promotion</p> <p>(i) Ten percent by promotion through Departmental Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800/- and who possess 12th Class pass or equivalent qualifications and had rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination.</p> <p>(ii) Five percent by promotion on the basis of seniority-cum-fitness basis from amongst Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800/-</p>	<p><b>Promotion:—</b></p> <p>(i) Ten percent by promotion through Departmental Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800/- and who possess 12th Class pass or equivalent and had rendered 3 years regular service in the grade.</p> <p>Note 1.—The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for Schedule Castes/Schedule Tribes).</p> <p>Note 2.—If more of such employees that the number of vacancies available are qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at the later examination.</p> <p>(ii) Five percent by promotion on the basis of seniority-cum-fitness basis from amongst Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800/-.</p>	
<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.</p>	
(13)	(14)	
<p>Departmental Promotion Committee for considering promotion and for confirmation consisting of:—</p>	<p>Not Applicable</p>	
<p>1. Head of the concerned Establishment or Laboratory—Chairman</p>		

(13)

- 
- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 2. | Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory  | —Member |
| 3. | An Officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment | —Member |
- 

[ F. No. DHRD/76257/RRs/Admin/C/P/03/2188/D (R&amp;D) ]

S. K. DEB, Under Secy.

